



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 85वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 23 दिसम्बर, 2014

अपराह: 02.00 बजे

प्रबन्ध बोर्ड की 85वीं बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को अपराह 2.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 01. | प्रोफेसर कैलाश सोडाणी,
कुलपति | अध्यक्ष |
| 02. | श्री अनिता भदेल, विधायक - अजमेर
(विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 03. | प्रो. बी.के.जोशी, देहरादून
(महामहिम कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) | सदस्य |
| 04. | प्रो. बी.पी. सारस्वत, अजमेर
(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) | सदस्य |
| 05. | प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, अजमेर
(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) | सदस्य |
| 06. | प्रो. गुलराज कलसी कोहली, अजमेर
(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) | सदस्य |
| 07. | श्री धर्मेन्द्र भटनागर, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
(शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 08. | श्री आर.के. व्यास
कार्यवाहक कुलसचिव
(कुलसचिव के अवकाश पर होने के कारण) | सदस्य सचिव |
| अनुपस्थित सदस्य | | |
| 09. | श्री वासुदेव देवनानी, विधायक - अजमेर
(विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 10. | डॉ. बी.पी. शर्मा
(राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) | सदस्य |
| 11. | शासन सचिव, शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |
| 12. | शासन सचिव, योजना विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |
| 13. | आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा,
राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा आशा व्यक्त की कि प्रबन्ध बोर्ड के समस्त सदस्यों के पूर्ण सहयोग से विश्वविद्यालय विकास की ओर उन्मुख होगा तथा प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही में सभी का सहयोग मिलेगा। प्रबंध बोर्ड के सदस्यों द्वारा भी माननीय कुलपति महोदय की प्रथम बार प्रबंध बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने पर स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गये :-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 03.12.2012 को सम्पन्न हुई 79वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. (79)शैक्ष.1./ मदसविदि/ 2012/37254-66 दिनांक 10.12.2012 द्वारा प्रेषित की गई।	शैक्षणिक-1
निर्णय	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 03.12.2012 को सम्पन्न हुई 79वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई। सदस्य-सचिव ने प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराया कि प्रबन्ध बोर्ड की 80वीं बैठक दिनांक 20.09.13, 82वीं बैठक दिनांक 11.12.2013, 83वीं बैठक दिनांक 23.12.13 एवं 84वीं बैठक दिनांक 28.02.14 के कार्यवृत्त पटल पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। पटल पर प्रस्तुत कार्यवृत्त की प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पुष्टि की गयी। 81वीं बैठक दिनांक 27.09.13 के संबंध में सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि उक्त कार्यवृत्त की प्रति शैक्षणिक-प्रथम अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। जिसके संबंध में तत्कालीन कुलपति एवं कुलसचिव से सम्पर्क कर उक्त कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है एवं प्रति प्राप्त होने पर प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ पुष्टि हेतु प्रस्तुत कर दी जायेगी।	
मद सं. 2	विद्या परिषद की दिनांक 28 जून, 2013 को सम्पन्न हुई 47वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट-I)	शैक्षणिक-1
निर्णय	विद्या परिषद् की दिनांक 28 जून, 2013 को सम्पन्न हुई 47वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	
मद सं. 3	विद्या परिषद की दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न हुई 48वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट-II)	शैक्षणिक-1
निर्णय	विद्या परिषद् की निनांक 26 जून, 2013 को सम्पन्न हुई 48वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	

<p>मद सं. 4</p>	<p>माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-</p> <p>(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए आदेश दिनांक 20 मार्च 2014 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.23 (750-ए)/ विधि/मदसविवि/ 2007/ 6180 दिनांक 1.6.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.23() विधि/मदसविवि/2014/ 5086-436 दिनांक 24.3.2014 जारी किया गया है जिसके तहत अधिवक्तागणों की विधिक फीस बाबत राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2012, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक (Rajasthan Gazette- Extraordinary) में दिनांक 4 मई 2012 को हुआ है, को इस विश्वविद्यालय में यथारूप प्रवृत्त किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.23 () विधि/ मदसविवि/ 2014/ 5086-436 दिनांक 24.3.2014 (कार्यसूची का परिशिष्ट-III) पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>विधि</p>
<p>निर्णय</p>	<p>पुष्टि की गई।</p>	
	<p>(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर ने एक अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2012 जारी की है जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक (Rajasthan Gazette- Extraordinary) में दिनांक 4 मई 2012 को हुआ है।</p> <p>उक्त अधिसूचना के अनुसार तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर के न्यायालय और अन्य समान न्यायालय इत्यादि में पैरवी हेतु प्रति केस राशि रु.2000/- और इस विहित फीस के अतिरिक्त रु.500/- व्यय प्रति केस मंजूर किया गया है। इसी प्रकार कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अपील प्राधिकरण और अन्य समान अधिकरण/ न्यायालयों में पैरवी हेतु रु.3000/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त रु.500/- व्यय प्रति केस मंजूर किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पैरवी हेतु रु. 4500/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त रु.500/- व्यय प्रति केस तथा उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु रु.5500/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त रु.1000/- व्यय प्रति केस का निर्धारण किया गया है।</p>	<p>विधि</p>

	<p>इसके अतिरिक्त यदि कोई महत्वपूर्ण प्रकरण हो जिसमें विधिक व्यवसायी को अधिक फीस संदाय करने की अपेक्षा हो तो वहाँ सक्षम अधिकारी जहाँ वे ठीक समझें, वृद्धि कर सकते हैं।</p> <p>अतः उक्त अधिसूचना में निर्धारित अधिवक्ताओं की फीस को विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ताओं के लिए समान रूप से लागू किए जाने का प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रबंध बोर्ड में विचारार्थ प्रतिवेदित है।</p>	
निर्णय	मद संख्या 4 (1) के परिप्रेक्ष्य में मद निरस्त (Drop) किया गया।	
	<p>(3) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (4)FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 19-04-13 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स/परिवार पेन्शनर्स को दिनांक 01.01.2013 से मंहगाई राहत 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 (41)A&F/MDSU/2013/348-85 Dated 22-04-13 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- IV)</p>	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(4) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (1)FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 19-04-13 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2013 से मंहगाई भत्ता 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 (41)A&F/MDSU/2013/309-46 Dated 22-04-13 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- V)</p>	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(5) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26.04.13 के अनुसार वैद्य श्री चन्द्रकान्त चतुर्वेदी अंशकालीन आधार पर नियुक्त तथा डॉ. अशोक गुप्ता, अंशकालीन आधार पर नियुक्त फिजिसियन की पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1() संस्था/ मदसविवि/2012/ 37204 दिनांक 07.12.2012 में वर्णित सेवा शर्तों एवं मानदेय के आधार पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1() संस्था/ मदसविवि/2013/ 14772 दिनांक 03.05.2013 द्वारा उनकी नियुक्ति अवधि में दिनांक 30.03.2013 से 06 माह अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो के लिए वृद्धि की गई। माननीय के उपरोक्त आदेश प्रबंध बोर्ड के प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- VI)</p>	संस्थापन

निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(6) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ.1() संस्था/मदसविवि/2014/ 19337 दिनांक 06-9-2014 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.1() संस्था/मदसविवि/2014/19427 दिनांक 09-9-2014 के निर्देशों के अंतर्गत निदेशक-शोध के रिक्त पद पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार, डॉ0 नवलकिशोर उपाध्याय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक इतिहास (चयनित वेतनमान), श्री आर0 के0 पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, हाल निवासी 34/182, पालबीसला, भरोसा अजरबत्ती के पास, अजमेर, को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा निदेशक-शोध के पद पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति प्रदान की है। एतद्धर्त जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 () संस्था/मदसविवि/2014/19755 दिनांक 10-9-2014 (प्रतिलिपि संलग्न है) की अनुपालना में डॉ0 उपाध्याय ने दिनांक 10-9-2014 को मध्याह्न पश्चात् कार्यभार ग्रहण कर लिया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- VII)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(7) प्रतिवेदन है कि राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.1(3)शिक्षा-4/2010 दिनांक 26-5-2014 में वर्णित पारिश्रमिक की दरों के आधार पर इस विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1() संस्था/मदसविवि/2011/39487 दिनांक 23-12-2011 में सत्र 2014-2015 से तदनुसार पारिश्रमिक की विभिन्न दरों को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से पुनर्निर्धारित करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1() संस्था/मदसविवि/2014/21364 दिनांक 24-9-2014 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- VIII)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(8) प्रतिवेदन है कि राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के पत्रांक प. 5(51)कार्मिक/क-2/88 दिनांक 13-5-2012 के आधार पर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम संख्या 9 में टिप्पण शीर्षक के नीचे निम्नांकित नियम 9 (i) का समावेश, इस विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्राप्त माननीय कुलपति महोदय के आदेश की अनुपालना में अधिसूचना क्रमांक एफ.1() संस्था/मदसविवि/2014/18958 दिनांक 3-9-2014 (कार्यसूची का परिशिष्ट- IX) द्वारा किया गया है:-	संस्थापन

	नियम 9 (i) इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त आश्रित विधवा महिलाओं को जो दिनांक 07-9-2009 से पूर्व एवं पश्चात् नियुक्त हुई है/होगी ऐसी सभी आश्रित विधवा महिलाएं टंकण परीक्षा से मुक्त होंगी।	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(9) प्रतिवेदन है कि छात्रा सुश्री दीपल चतुर्वेदी प्रकरण बाबत् संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय ने अंकतालिकाओं तथा स्कीम ऑफ एग्जाम के अवलोकन करने पर पाया गया कि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के बी.एस.सी. गृह विज्ञान पार्ट-प्रथम, पाठ्यक्रम-2012 के अनुसार पेपर क्रमशः 6, 7 एवं 8 छात्रा सुश्री दीपल चतुर्वेदी के दोनों सेमेस्टर के समतुल्य है। विश्वविद्यालय में सामान्यतः 50 प्रतिशत या उससे अधिक पेपर समान होने पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है।</p> <p>अतः माननीय कुलपति महोदय ने संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय की संस्तुति के आधार पर छात्रा सुश्री दीपल चतुर्वेदी पुत्री श्री अनिल चतुर्वेदी को श्रीमती सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा में सत्र 2012-13 में बी.एस.सी. पार्ट-II (गृह विज्ञान) में नियमित प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार माननीय कुलपति महोदय के आदेश के बाद कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-1/मदसविवि/2012/36561 दिनांक 30.11.12 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- X)</p>	शैक्षणिक-1
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(10) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 27.02.13 के द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है। उक्त आदेश की प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में पुष्टि करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XI)</p>	सामान्य प्रशासन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(11) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 10-4-2013 के अनुसार श्री हरिसिंह अस्नानी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विश्वविद्यालय में विधि परामर्शदाता के रूप में अवैतनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ()संस्था/मदसविवि/ 2013/ 12781-830 दिनांक 16-4-2013 द्वारा आगामी आदेशों तक के लिये नियुक्त किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XII) मद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	

	(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 04-12-2012 के द्वारा डॉ० सी० एच० कौतिश, सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव को संविदात्मक आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदात्मक नियुक्ति के लिये दिये जाने वाले अनुमोदित समेकित परिलब्धि (Emoluments) के आधार पर समेकित परिलब्धि रुपये 15,000/- प्रति माह पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से 31-3-2013 अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 () संस्था/मदसविवि/ 2012/ 36924 दिनांक 05-12-2012 के तहत नियुक्ति प्रदान की गई है । माननीय कुलपति महोदय के उपरोक्त आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XIII)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(13) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 21-11-2013 के द्वारा श्री सतीश सक्सेना सेवानिवृत्त अनुभागाधिकारी को संविदात्मक आधार पर समेकित मानदेय राशि 8150/- प्रतिमाह पर कार्य ग्रहण की तिथि से 02 माह अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1() संस्था/मदसविवि/ 2013/34080 दिनांक 22-11-2013 के तहत नियुक्ति प्रदान की गई है । माननीय कुलपति महोदय के उपरोक्त आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत हैं । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XIV)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(14) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 में अधिसूचना क्रमांक F-15/Res/ MDSUA/2012/78884 दिनांक 13.8.12 द्वारा अधिसूचित प्रावधानों को प्रभावी करने में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की अनुशंषाओं पर कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19(4) में उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश 124.9B, 124.9B:1 ,oa 124.9B:3 में जो संशोधन किये हैं, वे अधिसूचना क्रमांक F 15/Res/MDSUA/2014/ 5213 दिनांक 12.4.2014 द्वारा अधिसूचित किय गये । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XV) माननीय के आदेश पुष्टि हेतु प्रतिवेदित है।	शोध
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(15) <u>प्रतिवेदन है कि</u> श्रीमती सुधा पत्नि स्व० श्री बजरंगलाल (सहायक कुलसचिव) को स्व० श्री बजरंग लाल के दिनांक 11-10-2009 को हुये निधन के कारण जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो कि विश्वविद्यालय में दिनांक 16-9-2013 को प्राप्त हुआ के आधार पर	संस्थापन

	<p>माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रबंध बोर्ड की पुष्टि के अध्यक्षीन निम्नलिखित नियमानुसार देय परिलाभों के भुगतान की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 () संस्था/मदसविवि/ 2013/36715 दिनांक 23-12-2013 के द्वारा प्रदान की गई :-</p> <table border="0"> <tr> <td>1.</td> <td>भविष्य निधि खाते में जमा स्वयं का अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज राशि-रु.</td> <td>502008-00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज राशि-रु.</td> <td>344753-00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>अवकाश खाते में जमा 297 दिन के उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान राशि-रु.</td> <td>144386-00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>विश्वविद्यालय में की गई सेवा अवधि 15-4-88 से 06-10-2005 तक के लिये देय उपादान राशि-रु.</td> <td>106953-00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल राशि रु.</td> <td>1098100-00.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> </table>	1.	भविष्य निधि खाते में जमा स्वयं का अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज राशि-रु.	502008-00	2.	भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज राशि-रु.	344753-00	3.	अवकाश खाते में जमा 297 दिन के उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान राशि-रु.	144386-00	4.	विश्वविद्यालय में की गई सेवा अवधि 15-4-88 से 06-10-2005 तक के लिये देय उपादान राशि-रु.	106953-00				कुल राशि रु.	1098100-00.			
1.	भविष्य निधि खाते में जमा स्वयं का अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज राशि-रु.	502008-00																					
2.	भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज राशि-रु.	344753-00																					
3.	अवकाश खाते में जमा 297 दिन के उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान राशि-रु.	144386-00																					
4.	विश्वविद्यालय में की गई सेवा अवधि 15-4-88 से 06-10-2005 तक के लिये देय उपादान राशि-रु.	106953-00																					
																						
	कुल राशि रु.	1098100-00.																					
																						
निर्णय	पुष्टि की गई।																						
	<p>(16) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 16.04.2012 की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक F 1 () Estt./MDSU/ 2013/ 3942 दिनांक 31.05.2013 के द्वारा गार्गी महिला छात्रावास की मैट्रन के पद पर श्रीमती उर्मिला सिंह को संविदात्मक आधार पर समेकित मानदेय राशि रूपये 8,000/- प्रतिमाह के स्थान पर रूपये 11,000/- पर दिनांक 01.06.2013 से 1 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो पर नियुक्ति प्रदान की गई है । माननीय कुलपति महोदय के उपरोक्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड के प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XVI)</p>	संस्थापन																					
निर्णय	पुष्टि की गई।																						
	<p>(17) प्रतिवेदन है कि महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 से 2011-12 के ऑडिट आक्षेप संख्या 29 के निराकरण हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा चयन समिति की अनुशंसाओं पर नियुक्ति के आदेश क्रमांक एफ.1(5)Estt./UOA/88/14418.28 दिनांक 29-02-1988 एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा इसी आशय के आदेश क्रमांक एफ.1(5)Estt./ UOA/ 88/42240 दिनांक 25-8-1988 प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XVII)</p> <p>उक्त कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(5)Estt./UOA/88/14418-28 दिनांक 29-02-1988 में उल्लेखित व्यक्तियों में से केवल श्री आर0 के0 व्यास उपकुलसचिव के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं । डॉ0 डी0 सी0 शर्मा,</p>	संस्थापन																					

	<p>उपकुलसचिव 31-3-2014 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन ऑडिट आक्षेप के निराकरण के अभाव में डॉ० शर्मा को पेंशन परिलाभ का भुगतान नहीं किया जा सका है । श्री ए० डी० हर्ष एवं डॉ० आर० एन० चतुर्वेदी का निधन हो चुका है एवं श्री ओ० पी० गुप्ता ने सहायक रजिस्ट्रार के रूप में पदभार ग्रहण नहीं किया था । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XVIII)</p> <p>ऑडिट पैरा का आधार यह था कि डॉ० डी० सी० शर्मा एवं श्री आर० के० व्यास की सहायक रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति प्रबंध मण्डल के अनुमोदन के बिना की गई थी और श्री बलवन्त सिंह की सहायक रजिस्ट्रार के पद पर चयन समिति की सिफारिशों के बिना नियुक्ति की गई थी । अतः उक्त आक्षेप के निराकरण के लिए, जारी उक्त कार्यालय आदेशों का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।</p>	
निर्णय	<p>प्रबन्ध बोर्ड ने कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(5)Estt./UOA/88/14418 28 दिनांक 29-02-1988 एवं आदेश क्रमांक एफ.1(5)Estt./ UOA/ 88/42240 दिनांक 25-8-1988 का कार्योत्तर अनुमोदन किया ।</p>	
	<p>(18) प्रतिवेदन है कि श्री राजकुमार कोची, सहायक कर्मचारी को विश्वविद्यालय के टेबुलेशन रजिस्टर में हेराफेरी की प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 30-4-1998 को पुलिस ने मुकदमा संख्या 82/98 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 477 में गिरफ्तारी के पश्चात् कार्यालय आदेश क्रमांक 1295 दिनांक 06-5-1998 द्वारा विश्वविद्यालय अध्यादेश 357 सी-1(सी) के प्रावधानान्तर्गत निलम्बित किया गया था ।</p> <p>श्री राजकुमार कोची को प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 05 मार्च 2011 के मद संख्या 11 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 14291-96 दिनांक 25-3-2011 के तहत माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीय मानवीय आधार पर बहाल किया गया ।</p> <p>माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 09-4-2013 के द्वारा श्री राजकुमार कोची, सहायक कर्मचारी के कैंसर रोग के कारण उनकी परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए निलम्बन के समय के वेतन के आधार पर बहाली की दिनांक से छठे वेतनमान में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1() संस्था/ मदसवि/2013/14656 दिनांक 03-5-2013 के द्वारा वेतन नियतन किया गया । माननीय कुलपति महोदय के उपरोक्त आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत हैं । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XIX)</p>	संस्थापन
निर्णय	<p>पुष्टि की गई।</p>	

	<p>(19) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 23-3-2013 के द्वारा श्री मोहम्मद जफर, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक तथा डॉ० सी० एच० कौतिश, सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव की संविदात्मक नियुक्ति की अवधि क्रमशः कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसविवि/ 2013/11605 दिनांक 02-4-2013 (कार्यसूची का परिशिष्ट- XX) तथा क्रमांक 11612 दिनांक 02-4-2013 (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXI) द्वारा दिनांक 01-4-2013 से छः माह अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले के लिए बढ़ाई गयी । माननीय कुलपति महोदय के उपरान्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।</p>	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(20) प्रतिवेदन है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.7 (6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 03-10-2013 के तहत अधीनस्थ/ मंत्रालयिक संवर्ग के सभी राजकीय विभागों के कार्मिकों को स्टेशनरी भत्ता 250/- प्रति माह दिनांक 01-10-2013 से पैन, पैसिल, ग्लास इत्यादि के लिए दिये जाने हेतु आदेशों के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी दिनांक 01-10-2013 से 250/- रुपये प्रति माह स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं । इस संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसविवि/2013/ 811 दिनांक 12-12-2013 की प्रति संलग्न है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXII)</p>	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(21) प्रतिवेदन है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1() संस्था/मदसविवि/ 2008/ 48574 दिनांक 17-10-2008 एवं एफ.1() संस्था/मदसविवि/2009/38258 दिनांक 06-8-2009 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक F.14(1)FD/(Rules)/2013-I&II जयपुर दिनांक 06-4-2013 एवं समसंख्यक नोटिफिकेशन दिनांक 28-6-2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में किये गये संशोधनों के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 11-7-2013 के आदेशों की अनुपालना में अधिसूचना क्रमांक एफ 1 ()संस्था/मदसविवि/2013/29192 दिनांक 19-9-2013 जारी की गई । माननीय कुलपति महोदय के आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXIII)</p>	संस्थापन
निर्णय	मद आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।	

	<p>(22) प्रतिवेदन है कि निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25.05.2010 के कार्यवृत्त को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.02.2012 के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.02.2012 के मद सं. 19 पर निरीक्षण बोर्ड के कार्यवृत्त पर कार्यवाही करने के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण बोर्ड के दिनांक 25.05.2010 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं. 8 व 17 के अतिरिक्त शेष निर्णयों को दिनांक 11.12.2012 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पालना में निरीक्षण बोर्ड के कार्यवृत्त के बिन्दु सं. 8 व 17 के अतिरिक्त शेष निर्णयों पर कार्यवाही की जा चुकी है।</p> <p>निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25.05.2010 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं. 08 में लिये गये निर्णय को सत्र 2014-2015 से लागू किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 1.07.2014 की अनुपालना में समस्त सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों को उक्त निर्णय से विश्वविद्यालय पत्रांक: 13650-874 दिनांक 14.07.2014 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है।</p> <p>अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 11.12.2012 एवं दिनांक 1.07.2014 प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	शैक्षणिक-II
निर्णय	मद आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।	
	<p>(23) प्रतिवेदन है कि निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25.05.2010 के कार्यवृत्त को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.02.2012 के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.02.2012 के मद सं. 19 पर निरीक्षण बोर्ड के कार्यवृत्त पर कार्यवाही करने के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण बोर्ड के दिनांक 25.05.2010 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं. 8 व 17 के अतिरिक्त शेष निर्णयों को दिनांक 11.12.2012 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।</p> <p>निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25.05.2010 के निर्णय सं. 16 में सम्बद्धता समिति में सदस्यों की नियुक्ति के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय अध्यादेश 45 (2) (बी) के संशोधित प्रावधानान्तर्गत माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 8.05.2014 को सम्बद्धता समिति हेतु पूर्व निर्धारित 05 सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 07 सदस्य किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।</p> <p>प्रतिवेदित है कि माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक: 7811 दिनांक 10.05.14 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXIV)</p>	शैक्षणिक-II

निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(24) प्रतिवेदन है कि प्रबन्ध बोर्ड की 79वीं बैठक दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 में मद सं. 20 में University Grants Commission Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and measures for the maintenance of Standards in Higher Education, 2010 में वर्णित पदों पर सीधी भर्ती एवं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत इन पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के लिए वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं/वांछित योग्यताओं और अर्हताओं को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष रखा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु सूचित किया गया था। जबकि उक्त मद में केवल विश्वविद्यालय हेतु लागू किये जाने के सम्बन्ध में मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष रखा गया था।</p> <p>प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त मद के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया गया:</p> <p>“विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक/वांछित योग्यताओं और अर्हताओं को प्रवृत्त एवं मान्य करने का निर्णय लिया गया।”</p> <p>प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विनियमों में वर्णित निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक/वांछित योग्यताओं और अर्हताओं को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी सत्र 2012-2013 से प्राचार्य, शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति हेतु प्रवृत्त किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 9.04.2013 की अनुपालना में विश्वविद्यालय पत्रांक: 15798-16047 दिनांक 9.05.2013 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विनियमों में वर्णित निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक/वांछित योग्यताओं और अर्हताओं को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी सत्र 2012-2013 से प्राचार्य, शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति हेतु प्रवृत्त किये जाने हेतु समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को सूचित किया जा चुका है।</p>	शैक्षणिक-II
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(25) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.04.2014 की अनुपालना में निरीक्षण बोर्ड में महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षकों का पैनल तैयार करने के लिये विश्वविद्यालय अध्यादेश 52 (1) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय स्तर के आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थिति राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विभागाध्यक्षों एवं निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों के नामों को सम्बद्धता समिति के</p>	शैक्षणिक-II

	<p>माध्यम से अनुशंसित करवाकर निरीक्षण बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने एवं निरीक्षण बोर्ड के द्वारा निरीक्षकों का पैनल गठित होने तक पूर्व में पूर्व कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु उपकुलसचिव (शैक्ष.।।) को अधिकृत किया गया है।</p> <p>प्रतिवेदित है कि माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक: 7571 दिनांक 5.05.2014 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXV)</p>	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(26) प्रतिवेदन है कि SFS Rules 2009 के बिन्दु संख्या 7 (B) में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के आधार पर कार्यसूची के परिशिष्ट- XXVI के अनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।</p>	वित्त एवं लेखा
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
	<p>(27) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 15 (4) FD (Rules)/1997, Jaipur Dated 28-06-13 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स को दिनांक 01.07.13 से कम्प्यूटेशन की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 ()A&F/MDSU/2013 3881-916 Dated 20-11-13 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIV)</p>	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(28) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 15 (7) FD (Rules)/1998, Jaipur Dated 25-02-2009 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर संशोधन अनुसार Grant of Ex-gratia compensation दिनांक 25.02.09 से लागू की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 ()A&F/MDSU/2013 3807-42 Dated 20-11-13 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXV)</p>	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(29) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (11) FD (Rules)/2009, Jaipur Dated 26-05-11 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर संशोधन अनुसार Grant of Ex-gratia compensation दिनांक 26.05.2011 से लागू की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 ()A&F/MDSU/2013/3918-953 Dated 20-11-2013 जारी</p>	वित्त एवं लेखा

	किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXVI)		
निर्णय	पुष्टि की गई।		
	(30) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (11) FD (Rules)/2009, Jaipur Dated 14-12-2009 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर संशोधन अनुसार Grant of Ex-gratia compensation दिनांक 14.12.2009 से लागू की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 () A&F/MDSU/2013/3770-3805 Dated 20-11-2013 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXVII)		वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।		
	(31) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (11) FD (Rules)/2009, Jaipur Dated 06-07-2011 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर संशोधन अनुसार Grant of Ex-gratia compensation दिनांक 01.04.2011 से लागू की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 () A&F/MDSU/2013/3844-79 Dated 20-11-2013 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXVIII)		वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।		
	(32) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (3) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 28-06-13 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स/परिवार पेन्शनर्स को दिनांक 01.07.13 से न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 () A&F/MDSU/2013/3733-68 Dated 20-11-13 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIX)		वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।		
	(33) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (2) FD (Rules)/2013, Jaipur Dated 18-06-2013 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स/परिवार पेन्शनर्स को दिनांक 01.07.13 से न्यूनतम पेंशन/परिवार पेन्शन की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति		वित्त एवं लेखा

	महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 () A&F/ MDSU/2013/3696-3731 Dated 20-11-13 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXX)	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(34) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (4) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 01-03-2014 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स/परिवार पेन्शनर्स को दिनांक 01.01.14 से महंगाई राहत 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 (41) A&F/MDSU/2014/4633 Dated 18-03-14 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXI)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(35) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 27, 28 दिनांक 06.12.1995 में अवधारित शर्तों पर दिनांक 01.01.1990 के बाद और 31.12.2003 से पूर्व नियुक्त होकर नियोजित रहे सहायक कर्मचारियों जिनका समायोजन दिनांक 01.01.2004 के बाद विश्वविद्यालय में हुआ है, को दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् 'सीधी भर्ती' से नियुक्त कार्मिक नहीं मानते हुए उन पर विश्वविद्यालय पेंशन नियम 1990 प्रभावशील मान्य किये जाने को माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार परिपत्र क्रमांक एफ 1 () संस्था/मदसवि/2014/19521 दिनांक 09.09.14 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXII)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(36) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (3) FD (Rules)/2008-I, Jaipur Dated 06-04-13 & F 12 (3) FD (Rules)/2008-II, Jaipur Dated 06-04-13 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर संशोधन अनुसार दिनांक 01.07.13 से लागू की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 () A&F/MDSU/2013/3659-94 Dated 20-11-2013 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXIII)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	

	(37) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (3) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 06-04-13 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनांक 01.01.06 से Revision of Pension of pre 01-01-2006 State Pensioners/Family Pensioners etc. की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 () A&F/ MDSU/ 2013/3622-57 Dated 20-11-2013 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXIV)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(38) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (5) FD (Rules)/2009, Jaipur Dated 14-10-2014 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रदत्त बोनस के भुगतान की स्वीकृति दिनांक 29.10.2014 को माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान की है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 () A&F/MDSU/2013/2003-43 Dated 30-10-2014 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXV)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(39) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (5) FD (Rules)/2009, Jaipur Dated 10-09-2013 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रदत्त बोनस के भुगतान की स्वीकृति दिनांक 25.09.2013 को माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान की है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 () A&F/MDSU/2013/3083 Dated 04-10-2013 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXVI)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(40) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (1) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 08-09-2014 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दिनांक 01.07.14 से महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 (41) A&F/MDSU/2014/20407-56 Dated 15-09-14 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXVII)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	

	(41) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (3) FD (Rules)/2013, Jaipur Dated 08-09-2014 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनांक 01.07.14 से महंगाई राहत 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 (41) A&F/MDSU/2014/20661-710 Dated 19-09-14 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXVIII)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(42) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (1) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 01-03-2014 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दिनांक 01.01.14 से महंगाई भत्ता 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 (41) A&F/MDSU/2014/6059 Dated 26-03-14 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXIX)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(43) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) रूल्स 2013 में वित्त विभाग (नियम), राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (6) एफ.डी. (रूल्स) 2009 दिनांक 27.09.13 द्वारा समाहित किये गये नियम 164-ए को कुलपति समन्वय समिति की निर्णय संख्या 02 दिनांक 04.07. 2014 के आधार पर माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अधिनियम 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अधिसूचित व प्रवृत्त मान्य किया है । तदनुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1 () संस्था/मदसवि/2014/19337 दिनांक 06.09.14 जारी की गई है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXX)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(44) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (4) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 21-09-2013 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनांक 01.07.13 से महंगाई राहत 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 (41) A&F/MDSU/2013/3291-3330 Dated 18-10-13 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXI)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	

	<p>(45) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालीन आधार पर चिकित्सकीय सेवाएं देने हेतु नियुक्त फिजीशियन डॉ. अशोक गुप्ता की माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित कार्यालय आदेशों द्वारा दी गई सेवाओं में वृद्धि के आदेशों की पुष्टि करना:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2012/1136 दिनांक 11.01.2012 2. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2012/12655 दिनांक 29.03.2012 3. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2013/922 दिनांक 14.12.2013 4. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2014/10892 दिनांक 19.04.2014 <p>(कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXII)</p>	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(46) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालीन आधार पर चिकित्सकीय सेवाएं देने हेतु नियुक्त वैद्य श्री चन्द्रकांत चतुर्वेदी की माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित कार्यालय आदेशों द्वारा दी गई सेवाओं में वृद्धि के आदेशों की पुष्टि करना:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2011/14916 दिनांक 28.03.2011 2. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2011/21933 दिनांक 02.06.2011 3. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2011/32788 दिनांक 26.09.2011 4. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2012/12663 दिनांक 29.03.2012 5. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2013/922 दिनांक 14.12.2013 6. एफ 1 () संस्था/मदसविवि/2014/10892 दिनांक 19.04.2014 <p>(कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXIII)</p>	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(47) <u>प्रतिवेदन है कि</u> B.Sc. (Home Science) से सम्बन्धित ऑर्डिनेंस 232 D-3 (d) के अन्तर्गत B.Sc. Home Science Part - I में प्रवेश हेतु न्यूनतम उर्तीणांक 50 प्रतिशत निर्धारित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा आदेश प्रदान किए गए । जिसके क्रम में पत्र क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2014/16684-703 दिनांक 07.08.14 जारी किए गए । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXIV)</p>	शैक्षणिक-1
निर्णय	पुष्टि की गई।	

	<p>(48) प्रतिवेदन है कि राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 26 (1)आरबी/2014/8326 दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के क्रम में इस विश्वविद्यालय में आगामी सत्र 2015-16 में हिन्दी विभाग की स्थापना और उसमें डॉक्टर ऑफ फिलास्फी की उपाधि के लिए शोध कार्य तथा मास्टर ऑफ आर्ट्स हिन्दी की उपाधि का अध्यापन कराये जाने हेतु निम्नांकित 02 पदों का सृजन किये जाने हेतु राज्य सरकार को स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया गया:-</p> <p>1. एसोसिएट प्रोफेसर-वेतनमान 37400-67000-ए.जी.पी.-9000- 01 पद 2. असिस्टेंट प्रोफेसर-वेतनमान-15600-39100-ए.जी.पी.-6000- 01 पद</p>	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(49) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश 19 (Faculty of Science) के बिन्दू संख्या 27 पर M.Tech. (Computer Science) को जोड़ने के माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के अन्तर्गत आदेश प्रदान किए गए ।</p>	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(50) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6 (2) एफडी/नियम 2012 दिनांक 03.10.2013 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय के समस्त नियमित वर्दीधारी कर्मचारियों जिनमें सुरक्षा प्रहरी/चौकीदार/सहायक कर्मचारी/मशीन मैन/बागवान/पुस्तक परिचर/गैम्स बॉय/लैब बॉय/कुक वेटर/वाहन चालक/विद्युतकर्मी/प्लम्बर आदि को 01.10.2013 से धुलाई भत्ता रूपये 85/- के स्थान पर रूपये 150/- भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 2 ()सा.प्र./मदसविविअ/2014/1150 दिनांक 25.01.2014 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXXV)</p>	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	<p>(51) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में विश्वविद्यालय कार्यालय समय में स्वास्थ्य केन्द्र में स्थित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु संधारित उपकरणों के रख-रखाव और संचालन करने हेतु सेवानिवृत्त मेल नर्स श्री जगदीश प्रसाद कच्छावा को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 10,000/- रूपये प्रतिमाह समेकित वेतन (जिसमें वाहन भत्ता सम्मिलित है) मेल नर्स के रूप में नियुक्त करने के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं</p>	संस्थापन

	तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ()संस्था/मदसविवि/2014/17814 दिनांक 30.07.14 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXV-A)	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(52) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के संशोधित प्रावधान एवं वर्ष 2013-14 के बजट प्रावधानों को स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 (57) विवले-1/मदसविवि/2013/3000 दिनांक 30.09.13 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXVI)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(53) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (1) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 21-09-2013 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दिनांक 01.07.13 से महंगाई भत्ता 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No. F 6 (41) A&F/MDSU/2013/2891 Dated 26-09-13 जारी किया गया है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXVII)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(54) प्रतिवेदन है कि प्रबन्ध बोर्ड की 78वीं बैठक दिनांक 07.04.2012 के निर्णय संख्या 06 एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 25.06.12 के द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXVIII)	सामान्य प्रशासन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(55) प्रतिवेदन है कि प्रबन्ध बोर्ड की 78वीं बैठक दिनांक 07.04.2012 के निर्णय संख्या 06 एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 29.06.12 के द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXIX)	सामान्य प्रशासन
निर्णय	पुष्टि की गई।	

	(56) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13.08.2013 के द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXX)	सामान्य प्रशासन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(57) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 11.07.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXI)	सामान्य प्रशासन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(58) <u>प्रतिवेदन है कि</u> डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी की उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 के प्रावधानों को आवश्यकतानुसार सरल और व्यवहारिक बनाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित की गई समिति की दिनांक 22.09.14 को सम्पन्न हुई बैठक की अनुशंषाओं को माननीय कुलपति महोदय ने स्वीकार करते हुए तथा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) में उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र 2014-15 से अनुशंषित अध्यादेश 124 को प्रवृत्त किया है । तदनुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15 () शोध/मदसविवि/78536 दिनांक 11.11.2014 के (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXI-A) अनुसार अधिसूचित किया गया है ।	शोध
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(59) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13.08.2014 की अनुपालना में पूर्व में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 () वित्तीय नियम/विवले/मदसविवि/2010/1666 दिनांक 10.01.2011 के द्वारा गठित भवन निर्माण समिति के स्थान पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ (11)सहा.अभि./मदसविवि/2014/18690 दिनांक 27.08.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति का गठन किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXVII)	अभियन्ता कार्यालय
निर्णय	पुष्टि की गई। तदनुसार भवन निर्माण समिति के गठन संबंधी विश्वविद्यालय वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन किया जावे ।	
	(60) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने प्रो. बी.के. जोशी,	वित्त एवं लेखा

	मानद निदेशक, दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेंटर, देहरादून को वित्त समिति में प्रबन्ध बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य मनोनीत किया । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 (1)विवले-1/मदसविवि/2013/21253 दिनांक 20.06.13 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXVII-A)																			
निर्णय	पुष्टि की गई।																			
	(61) प्रतिवेदन है कि प्रबन्ध बोर्ड की 78वीं बैठक दिनांक 07.04.2012 के निर्णय संख्या 6 एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 03.07.12 के द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया । उक्त आदेश की प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में पुष्टि करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXVII-B)	सामान्य प्रशासन																		
निर्णय	पुष्टि की गई।																			
मद सं. 5	राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.01.2009 एवं 29.01.2010 के तहत शैक्षणिक संवर्ग के निम्नलिखित स्वीकृत पदों को समाप्त किया गया:- <table border="1" data-bbox="462 990 1302 1305"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विभाग</th> <th>समाप्त किये गये पद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>माइक्रोबायलोजी</td> <td>एसोसिएट प्रोफेसर (01)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>प्रबन्ध अध्ययन</td> <td>प्रोफेसर (02), एसोसिएट प्रोफेसर (02)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>संस्कृत</td> <td>प्रोफेसर (01), असिस्टेंट प्रोफेसर (01)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>कम्प्यूटर साईंस</td> <td>एसोसिएट प्रोफेसर (01), असिस्टेंट प्रोफेसर (01)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>वैदिक स्टडीज</td> <td>एसोसिएट प्रोफेसर (01)</td> </tr> </tbody> </table> <p>विश्वविद्यालय द्वारा उक्तानुसार समाप्त किये गये 10 पदों को पुनः स्थापित (Revive) किये जाने का निवेदन किया गया । प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) ने बैठक में सूचित किया कि समाप्त किये गये पदों को पुनः स्थापित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । विश्वविद्यालय द्वारा वास्तविक कार्य भार के आधार पर आवश्यक पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए । तदनुसार इन 10 पदों को समाप्त किये जाने एवं वास्तविक कार्य भार के आधार पर नये पदों के सृजन की कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति हेतु मद विचारार्थ प्रस्तुत है ।</p>	क्र.सं.	विभाग	समाप्त किये गये पद	1	माइक्रोबायलोजी	एसोसिएट प्रोफेसर (01)	2	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (02), एसोसिएट प्रोफेसर (02)	3	संस्कृत	प्रोफेसर (01), असिस्टेंट प्रोफेसर (01)	4	कम्प्यूटर साईंस	एसोसिएट प्रोफेसर (01), असिस्टेंट प्रोफेसर (01)	5	वैदिक स्टडीज	एसोसिएट प्रोफेसर (01)	संस्थापन
क्र.सं.	विभाग	समाप्त किये गये पद																		
1	माइक्रोबायलोजी	एसोसिएट प्रोफेसर (01)																		
2	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (02), एसोसिएट प्रोफेसर (02)																		
3	संस्कृत	प्रोफेसर (01), असिस्टेंट प्रोफेसर (01)																		
4	कम्प्यूटर साईंस	एसोसिएट प्रोफेसर (01), असिस्टेंट प्रोफेसर (01)																		
5	वैदिक स्टडीज	एसोसिएट प्रोफेसर (01)																		
निर्णय	वास्तविक कार्यभार एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों की मांग के आधार पर शिक्षकों के स्वीकृत पदों की समीक्षा एवं पुनर्विचार कर विश्वविद्यालय की वर्तमान आवश्यकता के पदों की राज्य सरकार से अनुमति हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।																			

मद सं. 6	माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार राजस्थान सरकार (कार्मिक विभाग) द्वारा रिक्तियों में महिला आरक्षण हेतु लागू प्रावधानों की जारी अधिसूचनाओं क्रमशः एफ-7 (2) डी.ओ.पी./ए-ना/88 पार्ट-1 दिनांक 21.09.2007 एवं एफ-7 (2) डी.ओ.पी./ए-ना/88 पार्ट-1 दिनांक 24.01.11 तथा प-7 (2) कार्मिक/क-2/88 पार्ट-1 दिनांक 05.06.2013 को विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र/आदेश क्रमांक एफ ()संस्था/मदसविवि /98/3557 दिनांक 17.02.98 के अनुसार जारी सीधी भर्ती में निर्धारित रोस्टर बिन्दू में उक्त अधिसूचना के अनुसार महिलाओं के रोस्टर बिन्दु निर्धारित करने संबंधी अधिसूचना विश्वविद्यालय में प्रवृत्त मान्य किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड में रखे जाने हेतु (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXVII) मद का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रावधानों की Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and Appointments on Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009) के अनुसार कार्यवाही की जावे ।	
मद सं. 7	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने हेतु जारी "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1987" (2013 का अधिनियम संख्यांक 7) प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXVIII)	शैक्षणिक-I
निर्णय	नोट किया ।	
मद सं. 8	<p>सत्र 2013-2014 की परीक्षाओं हेतु गठित परीक्षा शुल्क निर्धारण समिति की दिनांक 3.07.2013 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार अनुशंसायें की गईः</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक: 25328-686 दिनांक 27.07.2010 एवं प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.08.2010 के मद सं. 18 (8) में लिये गये निर्णयानुसार नेत्रहीन छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रविष्ट होने हेतु परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत एवं स्वयंपाठी नेत्रहीन छात्र-छात्राओं को भी सत्र 2013-2014 से परीक्षा शुल्क से मुक्त रखे जाने की अनुशंसा की जाती है। 2. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.08.2010 के मद सं. 18 (8) में लिये गये निर्णयानुसार एड्स, थेलेसिमिया व केंसर से रोग ग्रस्त विद्यार्थियों एवं ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता दोनों प्राकृतिक आपदाओं, आतंककारी हमलों एवं अन्य दुर्घटनाओं से परिपिड़ित (मृत अथवा 	शैक्षणिक-II

	<p>स्थीय रूप से शारीरिक रूप से अक्षम) हुए हैं, से भी विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर कोई विश्वविद्यालय शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः विश्वविद्यालय से समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत एवं स्वयंपाठी ऐसे आश्रित छात्र-छात्राओं जिनके माता-पिता दोनों प्राकृति आपदाओं, आतंककारी हमलों एवं अन्य दुर्घटनाओं में परिपिड़ित (मृत अथवा स्थीय रूप से शारीरिक रूप से अक्षम) हुए हैं, को सत्र 2013-2014 से परीक्षा शुल्क से मुक्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>3. विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक: 29911-30273 दिनांक 21.08.2010 एवं प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.08.2010 के मद सं. 18 (9) में लिये गये निर्णयानुसार कुष्ठ रोग पीड़ितों की आश्रित संतानों को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित रोजगारोन्मुखी एवं स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु निशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अतः समिति कुष्ठ रोग पीड़ितों की विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत एवं स्वयंपाठी छात्र-छात्राओं के रूप में परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले आश्रित संतानों को भी परीक्षा शुल्क से मुक्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>4. परीक्षा नियंत्रक को सत्र 2013-2014 से ऑनलाईन आवेदनों में उक्त अनुशंसाओं की पालना की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>5. उक्त के सम्बन्ध में सत्र 2013-2014 हेतु जारी किये जाने वाले परीक्षा शुल्क सारणी में भी उल्लेख किया जावे।</p> <p>प्रतिवेदित है कि उपरोक्त अनुशंसाओं का माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 11.07.2013 को अनुमोदन किया गया है जिसकी अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक: 30759 दिनांक 9.10.2013 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXIX)</p>	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
मद सं. 9	<p>प्रबंध बोर्ड की 68 वीं बैठक दिनांक 08-01-2010 की मद संख्या 21 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में वर्ष 2005 में अनुभागाधिकारी/सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ लिपिक के वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक रहे रिक्त पदों पर वर्षवार नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति का गठन माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में जारी कार्यालय आदेश एफ.1 ()संस्था/ मदसवि/ 2012/36586 दिनांक 01-12-2012 किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की दिनांक 12-9-2013 एवं 13-9-2013 को आयोजित हुई बैठकों में उक्त पदों पर पूर्व में की गई पदोन्नति/चयन के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श एवं</p>	संस्थापन

	गहन अध्ययन के उपरान्त समिति को रिक्त पदों की आज की स्थिति में किये जाने वाले चयन एवं पूर्व पदोन्नति के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याएँ/कठिनाई उत्पन्न होने के कारण विसंगति न हो ऐसी परिस्थिति में समिति ने अपनी उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण में बिन्दुवार मार्गदर्शन चाहा है जो बोर्ड के अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXX) विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 12-9-2013 एवं 13-9-2013 का बिन्दुवार कार्यवाही विवरण)	
निर्णय	मद संख्या 39 के परिप्रेक्ष्य में मद निरस्त (Drop) किया गया। मद पूर्व में ही वापस लिया जा चुका है ।	
मद सं. 10	माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के (रूल्स डिवीजन) के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.12(8) एफ.डी.(रूल्स)/2008/जयपुर दिनांक 09-5-2013 जो कि Additional relief on death/disability of Government servants covered by the new defined contribution pension system (NPS) से सम्बन्धित है को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त/मान्य किये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXI)	संस्थापन
निर्णय	उक्त मेमोरेण्डम को दिनांक 09.05.2013 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	
मद सं. 11	सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर) को स्व: वित्तपोषी योजनांतर्गत संचालित एम.फिल. रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं भूगोल पाठ्यक्रमों हेतु महालेखाकार के आक्षेपानुसार सत्र 2008-09 का विलम्ब शुल्क एवं नियमानुसार सत्र 2009-2010 से पूर्व बकाया राशि पर 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड के अनुसार रू. 225000/- एवं तत्पश्चात् सत्र 2009-2010 व 2010-2011 का सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क रू. 720000/- कुल राशि रू. 945000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाये जाने हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक: 52469 दिनांक 16.11.2009, 54144 दिनांक 8.12.2009, 14009 दिनांक 30.05.2010, 21845 दिनांक 6.07.2010, 35740 दिनांक 21.09.2010, 494 दिनांक 5.01.2011, 17635 दिनांक 21.04.2011, 14916 दिनांक 21.04.2012 एवं 29227 दिनांक 7.09.2012 के द्वारा महाविद्यालय एवं पृष्ठांकित प्रतियों के द्वारा राज्य सरकार को सूचित किये जाने के उपरांत भी महाविद्यालय द्वारा उक्त बकाया राशि रू. 945000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं करवाई गई। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर) के विरुद्ध स्व:वित्तपोषी योजनांतर्गत संचालित एम.फिल. रसायनशास्त्र, एम.फिल. भूगोल एवं एम.फिल. प्राणीशास्त्र पाठ्यक्रमों की सत्र 2008-09 से सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क की बकाया राशि की मुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रमुख	शैक्षणिक-II

	<p>शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक: प.4(402)/आयोजना/ निकाशी/ सम्बद्धता/ 07/शिक्षा-4/ 2010/201 दिनांक 19.02.2013 के द्वारा सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर) द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किये जाने के आधार पर उक्त पाठ्यक्रमों के विरुद्ध बकाया सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क को महामहिम कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से उनके कार्यालय टीप.आर.बी.रे/69/13 दिनांक 8.02.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के सम्बन्ध में निर्देशानुसार निर्देशित किया गया कि सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर) को एम.फिल. रसायनशास्त्र, एम.फिल. भूगोल एवं एम.फिल. प्राणीशास्त्र विषयों की सम्बद्धता राशि एवं उस पर वसूल की जानेवाली दण्ड राशि से मुक्त किया जाये, बाबत सूचित किया गया।</p> <p>प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के उक्त पत्र के क्रम में सत्र 2008-2009 से सत्र 2011-2012 तक उक्त पाठ्यक्रमों हेतु देय बकाया राशि की गणना की गई। जिसके अनुसार महाविद्यालय के विरुद्ध सत्र 2008-2009 से सत्र 2011-2012 तक उक्त पाठ्यक्रमों हेतु कुल बकाया राशि रु. 1305000/- देय होती है।</p> <p>विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 8(2) में निम्न प्रावधान है: 8(2) कुलाधिपति ऐसे कोई भी निर्देश दे सकेंगे, ऐसी कोई भी कार्यवाही और बात कर सकेंगे, जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन आवश्यक है।</p> <p>बन्ध में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(4) के तहत प्रदत्त आदेश दिनांक 6.04.2013 की पालना में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर) के विरुद्ध एम.फिल. रसायनशास्त्र, एम.फिल. भूगोल एवं एम.फिल. प्राणीशास्त्र पाठ्यक्रमों की सत्र 2011-2012 तक देय बकाया सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क की कुल राशि रु. 1305000/- से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय पत्रांक: 16512 दिनांक 13.05.2013 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXII)</p> <p>अतः महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्देशों की पालना में माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 6.04.2013 के अनुसार की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में मद प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
मद सं. 12	श्री महेश कुमार यादव, सहायक कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत केन्द्रीय पुस्तकालय का दुर्घटना में पैर में फ्रैक्चर हो जाने के कारण दिनांक 05-02-2013 से 02-9-2013 तक 210 दिवस अवकाश पर रहे। श्री यादव ने राजकीय चिकित्सालय के स्थान पर निजी चिकित्सालय में ईलाज करवाया था। अवकाश नियम 38 (C) के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से चिकित्सा हेतु	संस्थापन

	<p>एक बार में अधिकतम 180 दिन के उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जा सकते हैं । अतः श्री यादव को नियमों में शिथिलता बरतते हुए 180 दिवस के स्थान पर 210 दिन का अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन है ।</p> <p>श्री महेश कुमार यादव द्वितीय बार दिनांक 16-12-2013 से 01-4-2014 तक 107 दिवस पैर के फ्रेक्चर की पुनः चिकित्सा हेतु निजी चिकित्सालय में ईलाज करवाने हेतु अवकाश पर रहे जबकि उनके अवकाश खाते में दिनांक 30-6-2014 तक 41 दिन उपार्जित अवकाश व 21 दिन परावर्तित अवकाश शेष थे । अतः उक्त अवकाशों का समायोजन करते हुए उन्हें शेष अवधि दिनांक 16-02-2014 से 01-4-2014 तक नियम 33 (1) (a) के तहत Leave not due 45 दिन का अर्द्धवैतनिक अवकाश प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति से स्वीकृत किया जा सकता है ।</p> <p>उपरोक्तानुसार श्री महेश कुमार यादव को दिनांक 05-02-2013 से 02-9-2013 तक 210 दिवस का उपार्जित अवकाश एवं 16-12-2013 से 01-4-2014 तक कुल 107 दिवस में 41 दिन उपार्जित अवकाश एवं 21 दिन परावर्तित अवकाश तथा 45 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश Leave not due स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।</p>	
निर्णय	स्वीकृति प्रदान की गई।	
मद सं. 13	<p>प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के पत्रांक-प. 5(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 13-5-2011 के द्वारा जारी परिपत्र में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत विधवा महिलाओं को टंकण परीक्षा से मुक्त किया गया है । अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत टंकण परीक्षा में छूट उन सभी आश्रित विधवा महिलाओं पर लागू है जो कि दिनांक 07-9-2009 से पूर्व एवं पश्चात् नियुक्ति हुई है/होगी । ऐसी सभी आश्रित विधवा महिलायें टंकण परीक्षा से मुक्त होंगी ।</p> <p>अतः राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के उक्त नियम को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 (i) के रूप में लागू/प्रवृत्त किये जाने हेतु मद प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।</p>	संस्थापन
निर्णय	मद सं0 4 (8) पर निर्णित किया जा चुका है।	

<p>मद सं. 14</p>	<p>कुलपति समन्वय समिति की दिनांक 04 जुलाई, 2014 की कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 04 में उल्लेखित निम्नांकित निर्णय से अवगत होना और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों तथा शोध को बेहतर बनाने, निधि जुटाने एवं विद्यार्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार कर निर्णय करना:-</p> <p>"Her Excellency also highlighted the need for rationalisation and reducing financial liabilities arising from non teaching functions by adopting IT based solutions and outsourcing some of the routine jobs in the Universities. In this connection she referred to the letter written by her to the Vice Chancellors for undertaking an exercise for improving teaching courses and research, raising funds and increasing the employability of the students passing out of these institutions on the issue of the funding."</p>	<p>शोध</p>
<p>निर्णय</p>	<p>प्रबन्ध बोर्ड ने उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु निम्नांकित समिति का गठन कर दो माह में अनुशंषाएँ प्रस्तुत करने का निर्णय किया :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो. जी.के.कोहली, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन -संयोजक 2. डॉ. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग-सदस्य 3. कुलसचिव, -सदस्य सचिव 	
<p>मद सं.15</p>	<p>बार काउन्सिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा, लॉ भवन सेक्टर 37-ए चंडीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 702 दिनांक 24.01.2012 के अनुसार छात्र अशोक कुमार अरोड़ा पुत्र श्री मिलाप चंद अरोड़ा की वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 ने एल.एल.बी. पार्ट-I, II एवं III की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अध्यादेश 169-एच (2) के तहत निरस्त करने बाबत विचार कर निर्णय करना।</p> <p>स्पष्टीकरण</p> <p>श्री अशोक कुमार अरोड़ा पुत्र श्री मिलाप चन्द अरोड़ा हाऊस नं0 138, सर्वमंगल को-ऑपरेटिव सोसायटी, लोहागढ़ रोड़, अम्बाला हाईवे, जिरकपुर-140603 जिला मोहाली जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में एल.एल.बी. पार्ट I, II एवं III की परीक्षाये नियमित छात्र के रूप में सेठ जी.एल. बिहाणी सनातन धर्म विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर से उत्तीर्ण की, के संबंध में बार काऊंसिल ऑफ पंजाब एण्ड हरियाणा, लाल भवन, सेक्टर 37-ए, चंडीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 702 दिनांक 24.01.2012 सूचित किया गया कि उपरोक्त छात्र की एल.एल. बी. परीक्षाएं निरस्त की जावे (उपरोक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न परिशिष्ट)। बार काऊंसिल ऑफ पंजाब एण्ड हरियाणा, लाल भवन, सेक्टर 37-ए, चंडीगढ़ द्वारा सूचित किया गया कि श्री अशोक कुमार अरोड़ा का नामांकन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया है जो विश्वविद्यालय के</p>	<p>परीक्षा नियंत्रक</p>

	<p>कुलसचिव को अग्रेषित है। बार काऊंसिल द्वारा उपरोक्त पत्र की प्रति प्राचार्य, सेठ जी.एल. बिहाणी सनातन धर्म विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज0)-335001 को भी प्रेषित की गई। विश्वविद्यालय द्वारा श्री अशोक कुमार अरोड़ा को बार काऊंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा, चंडीगढ़ के निर्णय की सूचना पंजीकृत पत्र दिनांक 20.06.2012, 12.07.2012 एवं 03.01.2013 द्वारा दी गई तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि वह अपने एल.एल.बी. पार्ट-I, II एवं III की मूल अंकतालिकाएं मय उपाधि को विश्वविद्यालय में जमा करावें परन्तु श्री अरोड़ा द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया और न ही अपनी मूल अंकतालिकाएं मय उपाधि विश्वविद्यालय में प्रेषित की।</p> <p>अध्यादेश 169-एच-(2) के प्रावधान निम्नानुसार है:- O 169-H</p> <p>"(2) If an error is notice after the declaration of the result/issue of marks sheet/certificate/degree/ diploma as the case may be and rectification of the error involves a change in the marks obtained by the candidate or in his result to his disadvantage the Syndicate shall have the power to order necessary correction in result / mark-sheet / provisional certificate/degree/diploma, as the case may be. In the event of the candidate refusing to submit or not responding to the requirement of submitting the marks-sheet/or certificate/ degree/ diploma, as the case may be for necessary corrections the Syndicate may cancel his examination and further take such other action as it deems proper."</p> <p>अतः श्री अशोक कुमार को प्रदत्त एल.एल.बी. पार्ट-I,II एवं III की परीक्षाएँ उपरोक्त अध्यादेश के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	
निर्णय	आगामी बैठक हेतु मद स्थगित किया गया । प्रकरण में परीक्षा नियन्त्रक 15 दिवस में परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ।	
मद सं.16	<p>प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय संख्या 05 दिनांक 08 जनवरी, 2010 के द्वारा यह निर्णय किया कि मद में प्रस्तुत डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल के संबंध में जांच रिपोर्ट और विधिक राय के मद्देनजर डॉ. खण्डेलवाल को उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान नहीं किया जाए । सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा अंशदान की राशि का नियमानुसार भुगतान कर दिया जाए । यदि ग्रेच्युटी देय बनती है तो उसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए । प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय की अनुपालना में डॉ. खण्डेलवाल को सामान्य प्रावधायी निधि के अंशदान की राशि का भुगतान ब्याज सहित कर दिया गया है । ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु नियमानुसार प्रकरण का परीक्षण किया गया जिसमें नियम यह है कि कार्मिक द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रदान की गई हो तो ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है । अतः संबंधित नियम के आलोक में प्रकरण तथ्यों सहित कुलपति महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय ने निम्नांकित आदेश प्रदान किये हैं:-</p>	संस्थापन

	<p>प्रोविडेन्ट फण्ड एवं ग्रेच्युटी के नियम 6 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ग्रेच्युटी का भुगतान उतने मूल्य के बराबर घटाया जा सकेगा जितना किसी Criminal Offence से विश्वविद्यालय को नुकसान हुआ हो । चूंकि श्री खण्डेलवाल द्वारा गलत तथ्यों, जो कि Fraud की परिभाषा (श्रेणी) में सम्मिलित होता है के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की, तो प्रथमतः तो कोई ग्रेच्युटी एवं पेंशन भुगतान देय नहीं होना चाहिए और यदि 90 प्रतिशत भुगतान कर भी दिया गया है तो 10 प्रतिशत भुगतान रोका जाना नियमानुसार प्रतीत होता है । चूंकि बॉम में नियमानुसार भुगतान हेतु निर्णय लिया था । अतः की गई कार्यवाही उचित प्रतीत होती है । फिर भी उचित होगा कि समस्त तथ्य बॉम के समक्ष रखे जायें । बॉम के समक्ष महाधिवक्ता की राय भी एजेण्डा में रखी जाये ताकि समूचे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बॉम द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं पेंशन एवं ग्रेच्युटी नियमों के अन्तर्गत प्रकरण निर्णित किया जा सके ।</p> <p>अतः माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश के अनुसार प्रकरण पर महाधिवक्ता की राय के साथ विचार कर निर्णय करना प्रस्तावित है जिससे प्रकरण का निस्तारण हो सके । महाधिवक्ता की राय संलग्न है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIII)</p>																																																																																																																									
निर्णय	प्रस्तुत तथ्य एवं तत्कालीन कुलपति महोदय के आदेश के अनुसार प्रो. खण्डेलवाल को कोई भुगतान देय नहीं है ।																																																																																																																									
मद सं. 17	<p>निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनकी मूल उपाधि/प्रमाण पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने के कारण अध्यादेश 158 के अन्तर्गत उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं कुलसचिव की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उपाधि प्रतिलिपि जारी कर दी गई है :-</p> <table border="1" data-bbox="415 1377 1277 1982"> <thead> <tr> <th>क्रसं</th> <th>अभ्यर्थी का नाम</th> <th>परीक्षा का नाम</th> <th>वर्ष</th> <th>अनुक्रमांक</th> <th>कुलपति के आदेश दिनांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>हरिकेश गुर्जर</td><td>बी. ए.</td><td>2000</td><td>170263</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>2</td><td>रामधन</td><td>पी. एचडी.(शिक्षा)</td><td>2005</td><td>4302</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>3</td><td>कैलाश चन्द कुमावत</td><td>बी. ए.</td><td>2003</td><td>145046</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>4</td><td>सोनिया राजपाल</td><td>बी. ए.</td><td>2003</td><td>175820</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>5</td><td>अरविन्द कुमार शर्मा</td><td>बी. ए.</td><td>2003</td><td>187548</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>6</td><td>सोहन लाल वर्मा</td><td>बी. ए.</td><td>2001</td><td>157828</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>7</td><td>रुबी परवीन</td><td>बी. एस. सी.</td><td>1998</td><td>192274</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>8</td><td>हेमराज मीणा</td><td>बी. ए.</td><td>1997</td><td>129201</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>9</td><td>भंवर सिंह</td><td>बी. ए.</td><td>1990</td><td>40040</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>10</td><td>अमर सिंह यादव</td><td>एम. ए.(अंग्रेजी)</td><td>1988</td><td>103800</td><td>7/06/11</td></tr> <tr><td>11</td><td>अखे राम चौधरी</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79263</td><td>24/08/11</td></tr> <tr><td>12</td><td>अल्का जैन</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79264</td><td>24/08/11</td></tr> <tr><td>13</td><td>अम्बा लाल प्रजापति</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79265</td><td>24/08/11</td></tr> <tr><td>14</td><td>अनिता विजयवर्गीय</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79266</td><td>24/08/11</td></tr> <tr><td>15</td><td>अंजली कुमार नामा</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79267</td><td>24/08/11</td></tr> <tr><td>16</td><td>अर्चना बाघला</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79268</td><td>24/08/11</td></tr> <tr><td>17</td><td>अरुणा विजय</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79269</td><td>24/08/11</td></tr> <tr><td>18</td><td>बाबू लाल</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79272</td><td>24/08/11</td></tr> <tr><td>19</td><td>बजरंग लाल वर्मा</td><td>बी. ए.</td><td>2004</td><td>79273</td><td>24/08/11</td></tr> </tbody> </table>	क्रसं	अभ्यर्थी का नाम	परीक्षा का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	कुलपति के आदेश दिनांक	1	हरिकेश गुर्जर	बी. ए.	2000	170263	7/06/11	2	रामधन	पी. एचडी.(शिक्षा)	2005	4302	7/06/11	3	कैलाश चन्द कुमावत	बी. ए.	2003	145046	7/06/11	4	सोनिया राजपाल	बी. ए.	2003	175820	7/06/11	5	अरविन्द कुमार शर्मा	बी. ए.	2003	187548	7/06/11	6	सोहन लाल वर्मा	बी. ए.	2001	157828	7/06/11	7	रुबी परवीन	बी. एस. सी.	1998	192274	7/06/11	8	हेमराज मीणा	बी. ए.	1997	129201	7/06/11	9	भंवर सिंह	बी. ए.	1990	40040	7/06/11	10	अमर सिंह यादव	एम. ए.(अंग्रेजी)	1988	103800	7/06/11	11	अखे राम चौधरी	बी. ए.	2004	79263	24/08/11	12	अल्का जैन	बी. ए.	2004	79264	24/08/11	13	अम्बा लाल प्रजापति	बी. ए.	2004	79265	24/08/11	14	अनिता विजयवर्गीय	बी. ए.	2004	79266	24/08/11	15	अंजली कुमार नामा	बी. ए.	2004	79267	24/08/11	16	अर्चना बाघला	बी. ए.	2004	79268	24/08/11	17	अरुणा विजय	बी. ए.	2004	79269	24/08/11	18	बाबू लाल	बी. ए.	2004	79272	24/08/11	19	बजरंग लाल वर्मा	बी. ए.	2004	79273	24/08/11	उपाधि
क्रसं	अभ्यर्थी का नाम	परीक्षा का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	कुलपति के आदेश दिनांक																																																																																																																					
1	हरिकेश गुर्जर	बी. ए.	2000	170263	7/06/11																																																																																																																					
2	रामधन	पी. एचडी.(शिक्षा)	2005	4302	7/06/11																																																																																																																					
3	कैलाश चन्द कुमावत	बी. ए.	2003	145046	7/06/11																																																																																																																					
4	सोनिया राजपाल	बी. ए.	2003	175820	7/06/11																																																																																																																					
5	अरविन्द कुमार शर्मा	बी. ए.	2003	187548	7/06/11																																																																																																																					
6	सोहन लाल वर्मा	बी. ए.	2001	157828	7/06/11																																																																																																																					
7	रुबी परवीन	बी. एस. सी.	1998	192274	7/06/11																																																																																																																					
8	हेमराज मीणा	बी. ए.	1997	129201	7/06/11																																																																																																																					
9	भंवर सिंह	बी. ए.	1990	40040	7/06/11																																																																																																																					
10	अमर सिंह यादव	एम. ए.(अंग्रेजी)	1988	103800	7/06/11																																																																																																																					
11	अखे राम चौधरी	बी. ए.	2004	79263	24/08/11																																																																																																																					
12	अल्का जैन	बी. ए.	2004	79264	24/08/11																																																																																																																					
13	अम्बा लाल प्रजापति	बी. ए.	2004	79265	24/08/11																																																																																																																					
14	अनिता विजयवर्गीय	बी. ए.	2004	79266	24/08/11																																																																																																																					
15	अंजली कुमार नामा	बी. ए.	2004	79267	24/08/11																																																																																																																					
16	अर्चना बाघला	बी. ए.	2004	79268	24/08/11																																																																																																																					
17	अरुणा विजय	बी. ए.	2004	79269	24/08/11																																																																																																																					
18	बाबू लाल	बी. ए.	2004	79272	24/08/11																																																																																																																					
19	बजरंग लाल वर्मा	बी. ए.	2004	79273	24/08/11																																																																																																																					

20	बाल किशन	बी. ए.	2004	79274	24/08/11
21	बनवारी लाल वर्मा	बी. ए.	2004	79275	24/08/11
22	भवानी शंकर टेलर	बी. ए.	2004	79279	24/08/11
23	धर्मेन्द्र राठौर	बी. ए.	2004	79285	24/08/11
24	दुर्गा लाल नायक	बी. ए.	2004	79287	24/08/11
25	गौरव कुमार सिंधी	बी. ए.	2004	79288	24/08/11
26	घनश्याम लक्ष्कार	बी. ए.	2004	79289	24/08/11
27	गिरीराज जाट	बी. ए.	2004	79290	24/08/11
28	गोविन्द नारायण मीणा	बी. ए.	2004	79292	24/08/11
29	हरिश कुमार सिंधी	बी. ए.	2004	79296	24/08/11
30	कैलाश चन्द खारोल	बी. ए.	2004	79300	24/08/11
31	कैलाश चन्द धोबी	बी. ए.	2004	79302	24/08/11
32	कमलेश शर्मा	बी. ए.	2004	79305	24/08/11
33	कंदरी लाल मीणा	बी. ए.	2004	79306	24/08/11
34	खिलेन्द्र मीणा	बी. ए.	2004	79307	24/08/11
35	कुसुम जैन	बी. ए.	2004	79310	24/08/11
36	लाला राम गुर्जर	बी. ए.	2004	79312	24/08/11
37	ललीता परसोया	बी. ए.	2004	79313	24/08/11
38	मदन लाल वर्मा	बी. ए.	2004	79316	24/08/11
39	मन्जु भादा	बी. ए.	2004	79318	24/08/11
40	मिनाक्षी जैन	बी. ए.	2004	79321	24/08/11
41	मोना कुमारी शर्मा	बी. ए.	2004	79325	24/08/11
42	मुकेश कुमार प्रजापति	बी. ए.	2004	79327	24/08/11
43	मुकेश साहू	बी. ए.	2004	79328	24/08/11
44	नीरज जैन	बी. ए.	2004	79330	24/08/11
45	प्रीती खण्डेलवाल	बी. ए.	2004	79332	24/08/11
46	राज कुमार जैन	बी. ए.	2004	79334	24/08/11
47	राजा राम बैरवा	बी. ए.	2004	79335	24/08/11
48	राजू माली	बी. ए.	2004	79338	24/08/11
49	राकेश कुमार माली	बी. ए.	2004	79339	24/08/11
50	राम बिलास खाती	बी. ए.	2004	79340	24/08/11
51	राम धन जाट	बी. ए.	2004	79342	24/08/11
52	राम स्वरूप गुर्जर	बी. ए.	2004	79344	24/08/11
53	राम धन जाट	बी. ए.	2004	79346	24/08/11
54	रामजी लाल माली	बी. ए.	2004	79347	24/08/11
55	रामजी लाल वर्मा	बी. ए.	2004	79348	24/08/11
56	रीना कुमारी जैन	बी. ए.	2004	79351	24/08/11
57	रेणु जैन	बी. ए.	2004	79353	24/08/11
58	रोहित कुमार बोहरा	बी. ए.	2004	79356	24/08/11
59	संगीता जैन	बी. ए.	2004	79357	24/08/11
60	सावित्री लालावत	बी. ए.	2004	79358	24/08/11
61	सीमा कुमारी	बी. ए.	2004	79360	24/08/11
62	सीमा कुमावत	बी. ए.	2004	79361	24/08/11
63	शालिनी जैन	बी. ए.	2004	79363	24/08/11
64	श्यामा सैन	बी. ए.	2004	79370	24/08/11
65	सुरेश कुमार सैनी	बी. ए.	2004	79376	24/08/11
66	त्रिशला जैन	बी. ए.	2004	79379	24/08/11
67	विमला वर्मा	बी. ए.	2004	79381	24/08/11
68	कैलाश चन्द्र खटीक	बी. ए.	2004	79386	24/08/11
69	श्रवण लाल बैरवा	बी. ए.	2004	79389	24/08/11
70	अखिलेश त्रिपाठी	बी. ए.	2004	79390	24/08/11
71	अख्तर अली	बी. ए.	2004	79391	24/08/11
72	आशा राजावत	बी. ए.	2004	79395	24/08/11
73	आपिश पारीक	बी. ए.	2004	79396	24/08/11
74	बैजनाथ पुषक	बी. ए.	2004	79398	24/08/11
75	बजरंग लाल माली	बी. ए.	2004	79399	24/08/11
76	बन्ना लाल बैरवा	बी. ए.	2004	79400	24/08/11
77	बन्ना लाल कुम्हार	बी. ए.	2004	79401	24/08/11
78	बनवारी लाल शर्मा	बी. ए.	2004	79403	24/08/11
79	भाग चन्द्र कुम्हार	बी. ए.	2004	79404	24/08/11
80	भगवती देवी गौड़	बी. ए.	2004	79406	24/08/11
81	चन्द्र कुमार	बी. ए.	2004	79407	24/08/11
82	दिलीप कुमार सैन	बी. ए.	2004	79410	24/08/11

83	दिलराज सिंह राजावत	बी. ए.	2004	79411	24/08/11
84	दिनेश कुमार शर्मा	बी. ए.	2004	79413	24/08/11
85	गीता शर्मा	बी. ए.	2004	79415	24/08/11
86	घनश्याम गुर्जर	बी. ए.	2004	79416	24/08/11
87	गोपाल लाल	बी. ए.	2004	79417	24/08/11
88	गुलजार बेगम	बी. ए.	2004	79419	24/08/11
89	हेमलता सिंधि	बी. ए.	2004	79423	24/08/11
90	इन्द्रा मीणा	बी. ए.	2004	79424	24/08/11
91	कमल कुमार जैन	बी. ए.	2004	79426	24/08/11
92	कौशल्या गुप्ता	बी. ए.	2004	79427	24/08/11
93	महावीर प्रसाद दरोगा	बी. ए.	2004	79429	24/08/11
94	महेन्द्र सिंह	बी. ए.	2004	79430	24/08/11
95	मैना कँवर	बी. ए.	2004	79432	24/08/11
96	ममता शर्मा	बी. ए.	2004	79434	24/08/11
97	मीता शर्मा	बी. ए.	2004	79437	24/08/11
98	मुकेश कुमारी पारीक	बी. ए.	2004	79438	24/08/11
99	नवीता जैन	बी. ए.	2004	79440	24/08/11
100	निलोफर बानू	बी. ए.	2004	79441	24/08/11
101	नीलू जैन	बी. ए.	2004	79442	24/08/11
102	नीतु कुमारी शर्मा	बी. ए.	2004	79443	24/08/11
103	निर्मल कुमार जैन	बी. ए.	2004	79446	24/08/11
104	निशा राजावत	बी. ए.	2004	79447	24/08/11
105	ओम प्रकाश सैन	बी. ए.	2004	79448	24/08/11
106	पंकज कुमार जैन	बी. ए.	2004	79449	24/08/11
107	पिंकी जैन	बी. ए.	2004	79451	24/08/11
108	प्रियंका गुप्ता	बी. ए.	2004	79453	24/08/11
109	प्रियंका जैन	बी. ए.	2004	79454	24/08/11
110	पुरुषोत्तम बैरवा	बी. ए.	2004	79455	24/08/11
111	राज कुमार चौधरी	बी. ए.	2004	79457	24/08/11
112	राजेन्द्र प्रसाद माली	बी. ए.	2004	79459	24/08/11
113	रामावतार वर्मा	बी. ए.	2004	79461	24/08/11
114	रामदेव जाट	बी. ए.	2004	79463	24/08/11
115	रमेश चन्द सेन	बी. ए.	2004	79464	24/08/11
116	रमेश कुमार चौधरी	बी. ए.	2004	79466	24/08/11
117	रामेश्वर प्रसाद जाट	बी. ए.	2004	79467	24/08/11
118	रेखा पारीक	बी. ए.	2004	79468	24/08/11
119	सचिन कुमार सिंह	बी. ए.	2004	79470	24/08/11
120	शंकर लाल जाट	बी. ए.	2004	79471	24/08/11
121	श्याम सुन्दर पारीक	बी. ए.	2004	79476	24/08/11
122	श्यामाया देवी चारड़ा	बी. ए.	2004	79477	24/08/11
123	सीता राम टेलर	बी. ए.	2004	79478	24/08/11
124	सोनू जैन	बी. ए.	2004	79480	24/08/11
125	सुमन कुमारी तेली	बी. ए.	2004	79482	24/08/11
126	सुनिता जैन	बी. ए.	2004	79484	24/08/11
127	सुनिता टेलर	बी. ए.	2004	79485	24/08/11
128	सुनयना शर्मा	बी. ए.	2004	79486	24/08/11
129	सुरेश चन्द जैन	बी. ए.	2004	79487	24/08/11
130	सुशीला देवी रेगर	बी. ए.	2004	79489	24/08/11
131	टीना महावर	बी. ए.	2004	79490	24/08/11
132	त्रिशला जैन	बी. ए.	2004	79491	24/08/11
333	उर्मिला सुमन	बी. ए.	2004	79492	24/08/11
134	विजय लक्ष्मी	बी. ए.	2004	79494	24/08/11
135	विजय लक्ष्मी शर्मा	बी. ए.	2004	79495	24/08/11
136	विक्रम सिंह राजावत	बी. ए.	2004	79496	24/08/11
137	विनोद कुमार पारीक	बी. ए.	2004	79498	24/08/11
138	यशोदा लालचंदानी	बी. ए.	2004	79499	24/08/11
139	अफसाना	बी. ए.	2004	79502	24/08/11
140	अमित जैन	बी. ए.	2004	79503	24/08/11
141	राज कुमारी शर्मा	बी. ए.	2004	79507	24/08/11
142	राजाराम जागिड़	बी. ए.	2004	79508	24/08/11
143	रमेश चन्द खटीक	बी. ए.	2004	79513	24/08/11
144	रमेश चन्द सैनी	बी. ए.	2004	79514	24/08/11
145	राम जस शर्मा	बी. ए.	2004	79515	24/08/11

146	रेखा माहेश्वरी	बी. ए.	2004	79516	24/08/11
147	रेखा राठौड़	बी. ए.	2004	79517	24/08/11
148	रेखा सोनी	बी. ए.	2004	79519	24/08/11
149	रुकसाना बानो	बी. ए.	2004	79520	24/08/11
150	सादा राम जाट	बी. ए.	2004	79521	24/08/11
151	सपना जैन	बी. ए.	2004	79524	24/08/11
152	सरोज देवी शर्मा	बी. ए.	2004	79525	24/08/11
153	सत्य नारायण माली	बी. ए.	2004	79526	24/08/11
154	सीमा कुमारी राठौड़	बी. ए.	2004	79528	24/08/11
155	निधी चौहान	बी. ए.	2004	79530	24/08/11
156	भवानी सिंह	बी. ए. (अतिरिक्त)	2004	92351	24/08/11
157	संदीप कुमार	बी. ए.	2003	164603	24/08/11
158	रणधीर सिंह	बी. ए.	2002	164833	24/08/11
159	भारती हरजवाणी	बी. एस. सी.	1999	218752	24/08/11
160	भारती हरजवाणी	एम. एस. सी. (रसायन)	2001	104062	24/08/11
161	राम चन्द्र खीचड़	बी. ए.	2003	160659	24/08/11
162	योगेश जैलिया	बी. ए.	2002	188329	24/08/11
163	सुरेश कुमार बावरा	बी. ए.	1999	175607	24/08/11
164	मीनू मारु	बी. ए.	2000	160576	24/08/11
165	राजेश कुमार सुमन	बी. ए.	2000	171525	24/08/11
166	राजेश कुमार सुमन	एम. ए. (लोक प्रशा.)	2002	91670	24/08/11
167	ज्योति अलुदिया	बी. एस. सी. (गृह वि.)	2003	263674	05/10/11
168	रेणु	बी. एड	2003	1753	05/10/11
169	त्रिलोक अग्रवाल	बी. ए.	1999	440865	05/10/11
170	महेन्द्र सिंह खंगारोत	बी. ए.	2004	79431	05/10/11
171	मनोहर लाल मीना	बी. ए.	2002	185787	05/10/11
172	सुनील शर्मा	बी. ए.	1999	171230	05/10/11
173	नवाबदीन	बी. ए.	1988	92162	05/10/11
174	अश्वनी सेठी	बी. ए. (पुरक)	1989	3603	05/10/11
175	अनिल कुमार बेदी	बी. ए.	1994	83677	05/10/11
176	विभूति तिवारी	बी. एस. सी.	2001	246044	11/11/11
177	विभूति तिवारी	एम. एस. सी. (प्राणी शास्त्र)	2003	110936	11/11/11
178	कुशल सिंह	बी. एस. सी. (पुरक)	2003	464543	11/11/11
179	इन्द्र पाल मीणा	बी. एस. सी.	2003	259112	11/11/11
180	बीरबल राम चौटिया	बी. ए.	2001	151519	11/11/11
181	मासूम खान	बी. एस. सी.	1988	41394	05/12/11
182	ऊषा राठी	बी. ए.	1990	42982	05/12/11
183	दिव्या लखोटिया	बी. कॉम.	1996	15138	05/12/11
184	जय प्रकाश शर्मा	बी. ए.	1999	164115	16/01/12
185	जय प्रकाश शर्मा	बी. पी. ई. एक वर्षीय)	2001	1109	16/01/12
186	प्रतिभा गुप्ता	बी. एस. सी.	2004	145483	16/01/12
187	विक्रम अरोड़ा	बी. ए.	2001	143244	16/01/12
188	विक्रम अरोड़ा	एम. ए. (संस्कृत)	2003	15485	16/01/12
189	शैलेन्द्र दरक	एम. एस. सी. (कम्प्यू. साइन्स)	2006	80831	16/01/12
190	तेज राम मीणा	बी. ए.	2001	176916	16/01/12
191	रिंकल माहेश्वरी	बी. कॉम.	1996	16870	18/02/12
192	राम निवास मीना	बी. ए.	1997	128642	18/02/12
193	मूल चन्द मीना	बी. ए.	1997	128901	18/02/12
194	पियूष शर्मा	बी. ए.	1997	117123	18/02/12
195	राम सहाय गुजर	बी. ए.	2003	152294	18/02/12
196	मधुलता	एल. एल. बी. (प्रोफे.)	2003	12020	18/02/12
197	मनीश बी. पुरोहित	बी. एस. सी.	1999	218789	18/02/12
198	निशि कालरा	बी. एस. सी. (गृह वि.)	2000	303090	11/04/12
199	अभिषेक मेहता	बी. कॉम.	2001	222566	11/04/12
200	बनवारी लाल प्रजापति	बी. ए.	2001	170489	11/04/12
201	गोवर्धन लाल	बी. ए.	2000	166868	27/04/12
202	धर्मपाल	बी. एस. सी.	2000	342369	27/04/12
203	सुचित्रा व्यास	बी. ए.	2001	181957	27/04/12
204	पंकज कुमार शर्मा	बी. ए.	2002	150236	27/04/12

205	रतन सिंह मांडू	बी. ए.	2002	171149	27/04/12
206	मीना	एम. ए. (अंग्रेजी)	2002	45692	27/04/12
207	मीना	बी. एस. सी. (गृह वि.)	1999	228081	27/04/12
208	पंकज कुमार शर्मा	एम. ए. (हिन्दी)	2004	35133	27/04/12
209	हीरा लाल बैरवा	बी. एस. सी.	2004	146502	27/04/12
210	रेणु भट्ट	बी. ए.	2006	72511	27/04/12
211	रेणु भट्ट	एम. ए. (राज. वि.)	2008	55847	27/04/12
212	रेणु भट्ट	बी. एड.	2009	1002	27/04/12
213	प्रदीप बागरेचा	बी. कॉम.	1999	255963	27/04/12
214	रूपनाथ	बी. ए.	2000	160359	27/04/12
215	अनामिका सेन	पी.जी.डी.सी.ए.	2007	9113	27/04/12
216	अनामिका सेन	एम.एस.सी. (कम्प्यू. सा.) एल.एस.	2009	23501	27/04/12
217	सरिता अरोड़ा	बी. ए.	1989	50213	27/04/12
218	सुभाष चन्द्र	बी. एड.	1989	1161	08/06/12
219	सुधा पटेल	बी. कॉम.	1991	29617	08/06/12
220	महेन्द्र सिंह खिड़िया	बी. एस. सी.	1992	3125	08/06/12
221	अजय मेहता	बी. कॉम. (ऑनर्स)	1999	260403	08/06/12
222	जबरा राम	बी. ए.	2002	176277	26/06/12
223	ललित कुमार नन्दवाना	एल.एल.बी. (प्रोफे.)	1997	18899	26/06/12
224	रामेश्वर लाल वर्मा	बी. एड.	1989	1485	06/07/12
225	भारती शर्मा	बी. एस. सी.	1993	32530	06/07/12
226	रंजना गुप्ता	बी. एस. सी.	1998	190588	06/07/12
227	राजेश कुमार	बी. ए.	1997	118123	06/07/12
228	सुभाष चन्द	बी. ए.	2000	163379	08/08/12
229	महावीर सिंह	बी. ए.	2000	164867	08/08/12
230	कालू सिंह राव	बी. ए.	2003	146462	08/08/12
231	मुकेश चन्द माली	बी. ए.	2003	186639	08/08/12
232	रोशन कुमार मीणा	बी. ए.	1996	58856	08/08/12
233	गायत्री देवी	बी. ए.	1995	52282	08/08/12
234	कीर्ती सागर	बी. ए. (ऑनर्स)	1994	337006	08/08/12
235	दिनेश कुमार मूथा	एम. कॉम. (ई. ए. एफ. एम.)	2000	20191	16/08/12
236	ऋचा जैन	बी. ए.	2008	88406	16/08/12
237	चंपा लाल	बी. ए.	2001	163555	16/08/12
238	विमल चन्द	बी. ए.	1999	159824	16/08/12
239	रणजीत सिंह बिट्टू	बी. ए.	1998	80944	31/08/12
240	पवन कुमार शर्मा	बी. ए.	1999	183210	31/08/12
241	गजेन्द्र सिंह राठौड़	बी. ए.	2003	174196	31/08/12
242	लूना राम	बी. ए.	2004	81276	31/08/12
243	रहनुमा नाज सिद्दीकी	बी. ए.	2003	178574	31/08/12
244	जसकरण सिंह	बी. ए.	2001	157902	31/08/12
245	बुन्दु शेख	बी. ए.	2003	176228	31/08/12
246	विशाला राम पंवार	बी. ए.	2001	151899	31/08/12
247	भजन लाल विश्नोई	बी. ए.	2002	175575	31/08/12
248	अंजु बाला जाडवत	बी. ए.	1999	180805	31/08/12
249	कुसुम लता मधुर	बी. ए.	2003	177481	31/08/12
250	नवरत्न मल बगड़िया	एम. एस. सी. (भूगोल)	2004	53381	31/08/12
251	राम गोपाल राठौर	बी. एस. सी.	1997	174957	31/08/12
252	सोनाली अरोड़ा	बी. ए.	1997	104612	31/08/12
253	संगीता	बी. एस. सी.	2007	147350	31/08/12
254	नरेन्द्र कुमार	बी. ए.	1998	72699	31/08/12
255	करुणा	बी. ए.	2000	163962	22/09/12
256	सीता राम मीणा	बी. ए.	2002	187265	22/09/12
257	पूरण दास	बी. ए. (पूरक)	2003	445625	22/09/12
258	विजय कुमार	बी. ए.	2003	159330	22/09/12
259	आशा राम मीणा	बी. ए.	2003	187549	22/09/12
260	पवनी चौधरी	बी. ए.	2004	80920	22/09/12
261	अनिल कुमार सिंगारिया	बी. एस. सी.	2004	147016	22/09/12
262	राम कुमार सोनी	बी. एस. सी.	2002	271515	22/09/12
263	बजरंग लाल	बी. ए.	2008	91579	22/09/12
264	राजेश कुमार	एम. एस. सी. (गणित)	2001	111491	22/09/12

	265	प्रहलाद सिंह	एम. एस. सी. (प्राणी वि.)	2003	110912	22/09/12		
	266	तुलसी राठौड़	बी. ए.	1997	120039	22/09/12		
	267	प्रवीण कुमार बारोटिया	बी. एस. सी.	1998	190408	22/09/12		
	268	राज कुमार सामथानी	बी. कॉम.	1997	225127	03/10/12		
	269	रामजीवन वर्मा	एम. ए. (इतिहास)	2004	25451	03/10/12		
	270	सेताराम धांधल	बी. एस. सी.	2004	146778	03/10/12		
	271	कंचन	एम. एस. सी. (रसायन वि.)	2000	1521	13/10/12		
	272	शंकर लाल बैरवा	बी. ए.	2002	182793	13/10/12		
	273	रंजना राजपुरोहित	बी. ए.	2001	162710	13/10/12		
	274	रमेश कुमार	बी. ए. (पूरक)	1991	36004	13/10/12		
	275	जगदीश प्रसाद न्योल	बी. ए.	1996	65137	13/10/12		
	276	शीला वीरवाल	बी. एड	2008	7599	20/11/12		
	277	राजेन्द्र वैष्णव	बी. एस. सी.	2007	148284	20/11/12		
	278	हंस राज	बी. ए.	2001	157343	20/11/12		
	279	ऊशा अरोड़ा	बी. एड.	1990	2208	20/11/12		
	280	ओम प्रकाश विश्नोई	बी. एस. सी.	2003	254580	05/12/12		
	281	राज पाल	एम. ए. (अंग्रेजी)	2003	31139	05/12/12		
	282	हेमन्त कुमार बैरवा	बी. ए.	2002	188044	05/12/12		
	283	गौरी शंकर सुधार	बी. ए.	1998	89673	05/12/12		
	284	सविता रानी	बी. ए.	1990	52979	05/12/12		
	285	राम लाल मीणा	बी. ए.	2000	176843	28/01/13		
	286	ओम प्रकाश	एम. ए. (राज. वि.)	2007	99371	28/01/13		
	287	सुशिल कुमार दरक	बी. कॉम.	2008	189233	28/01/13		
	288	ओम प्रकाश	बी. ए. (पूरक)	2003	442002	28/01/13		
	289	स्टीफन सेमसन	बी. एस. सी.	2004	145294	28/01/13		
	290	हरभजन राम विश्नोई	बी. ए.	1995	56206	08/02/13		
	291	हरिओम मीणा	बी. ए.	1998	96307	08/02/13		
	292	अरविन्द कुमार शर्मा	बी. एड.	1999	2703	08/02/13		
	293	चरणजीत सिंह	एल. एल. बी. (प्रोफे.)	2000	12694	20/02/13		
	294	सत्य पाल	बी. कॉम.	1999	256137	20/02/13		
	295	पूनमा राम	बी. ए.	2004	82089	20/02/13		
	296	विजय ढाका	बी. कॉम.	2001	219375	20/02/13		
	297	रामधन	पी. एच. डी. (शिक्षा)	2005	4302	20/02/13		
	298	नवला राम	बी. ए.	2002	176411	16/03/13		
	299	महेन्द्र कुमार गोस्वामी	एम. एस. सी. (प्राणी वि.)	1994	916	16/03/13		
	300	विवेक सक्सेना	एल. एल. बी. (प्रोफे.)	2003	12228	16/03/13		
	301	महेन्द्र कुमार गोस्वामी	बी. एस. सी.	1991	11696	16/03/13		
	302	विनेश कुमार जैन	बी. एड.	1996	4717	16/03/13		
	<p>उपरोक्त सारणी में वर्णित कुल 302 छात्रों के प्रतिलिपि उपाधि प्रमाण-पत्रों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी किये जाने के आदेशों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।</p>							
निर्णय	पुष्टि की गई।							
मद सं. 18	<p>विश्वविद्यालय के समान्य प्रावधानी निधि के नियम 14 (2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति की दिनांक 22.02.13 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXII)</p>							
निर्णय	समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।							

<p>मद सं. 19</p>	<p>विद्या परिषद् के निर्णय संख्या दिनांक 26 दिसम्बर 2013 की अनुपालना में विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने के लिए जिन विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर एवं डीन-पी.जी. स्टडीज को निवेदन किया गया था उसके आधार पर केवल निम्नांकित विषयों के विशेषज्ञों के पैनल प्राप्य थे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राणीशास्त्र 2. राजनीति विज्ञान 3. प्रबन्ध अध्ययन 4. खाद्य विज्ञान एवं पोषण <p>शेष निम्नांकित विषयों में संकायाध्यक्ष नियुक्त नहीं होने के कारण विषय विशेषज्ञों के पैनल प्राप्त होना संभव नहीं था । अतः मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति महोदय को इन विषयों के विशेषज्ञों के पैनल देने हेतु निवेदन किया गया । प्राप्त पैनल की संवीक्षा, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार, विज्ञान संकाय के विषयों के पैनल संकायाध्यक्ष-विज्ञान से तथा समाज विज्ञान संकाय के विषयों के पैनल संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान से करायी गयी । संवीक्षा उपरान्त अनुशंसित पैनल पर राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अधिकारियों नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम 1974 की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण II के प्रावधानान्तर्गत विचार कर अनुशंसा करना । (विशेषज्ञों के पैनल पटल पर प्रस्तुत होंगे)</p>	<p>संस्थापन</p>
<p>निर्णय</p>	<p>यह मद विद्या परिषद् के लिए था, त्रुटिवश सम्मिलित हो गया। अतः मद निरस्त (Drop) किया गया ।</p>	
<p>मद सं. 20</p>	<p>विश्वविद्यालय के प्रिन्सिपल बैंकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की विश्वविद्यालय परिसर में संचालित शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र दिनांक 05.06.2013 पर विचार कर एस.बी.बी.जे. बैंक में विश्वविद्यालय की जमाओं की राशि में निरन्तर हो रही न्यूनता के कारण विश्वविद्यालय की जमाओं को एक संतोषप्रद स्तर पर एस.बी.बी.जे. बैंक में ही रखने हेतु कुछ मदों यथा पेंशन, वेतन या अन्य से संबंधित जमाओं को एस.बी.बी.जे. की विश्वविद्यालय परिसर की शाखा में ही रखे जाने की अपेक्षा हेतु विश्वविद्यालय के निवेश संबंधी नियम, अधिनियम, प्रचलित नीति तथा अन्य पत्रादि (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXIII) के परिप्रेक्ष्य में नीतिसम्मत निर्णय करना ।</p> <p>वर्तमान में विश्वविद्यालय में एस.बी.आई. एवं इसके सहयोगी बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से ब्याज दरें प्राप्त की जाकर सर्वोच्च ब्याज दर पर निवेश किये जाने की नीति प्रचलित है ।</p>	<p>वित्त एवं लेखा</p>
<p>निर्णय</p>	<p>स्पष्ट प्रस्ताव के अभाव में वर्तमान प्रचलित नीति यथावत जारी रखे जाने का निर्णय किया गया ।</p>	

<p>मद सं. 21</p>	<p>प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में निम्नांकित मद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है:-</p> <p style="text-align: center;">Proposed Amendment in Pensioner's Medical Reimbursement rules of MDS University, Ajmer</p> <p>(In reference of Order No. f 1 (6)FD/Rules/2012 Jaipur dated 08-08-13 of Govt. of Rajasthan, Finance Deptt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Regulation No.</th> <th style="width: 35%;">Existing</th> <th style="width: 50%;">Proposed Amendment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">विश्वविद्यालय की अधिसूचना 9460/09.02.09</td> <td style="vertical-align: top;">म.द.स. विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 () विवले-III/ मदसवि/2008/9460 दिनांक 09.02.09 एवं कार्यालय आदेश संख्या 18504 दिनांक 04.05.11 द्वारा पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स की चिकित्सा पुनर्भरण की वार्षिक सीमा निम्नांकित थी:- बिन्दू संख्या 7- चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि की अधिकतम सीमा ₹0 5000/- वार्षिक की जाती है ।</td> <td style="vertical-align: top;">विद्यमान नियमों के बिन्दू संख्या 7 में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (6) वित्त (नियम)/2012 दिनांक 08.08.13 द्वारा पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स की चिकित्सा पुनर्भरण की वार्षिक सीमा के अनुसार निम्नांकित संशोधन किया जाता है:- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Category of Pnesioners/ F. Pensioners</th> <th style="width: 50%;">Amount of Cost Ceiling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) Pensioners below the age of 75 years</td> <td>Rs. 10000/- per annum</td> </tr> <tr> <td>(ii) Pensioners who have attained the age of 75 years or above</td> <td>Rs. 20000/- per annum</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Regulation No.	Existing	Proposed Amendment	विश्वविद्यालय की अधिसूचना 9460/09.02.09	म.द.स. विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 () विवले-III/ मदसवि/2008/9460 दिनांक 09.02.09 एवं कार्यालय आदेश संख्या 18504 दिनांक 04.05.11 द्वारा पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स की चिकित्सा पुनर्भरण की वार्षिक सीमा निम्नांकित थी:- बिन्दू संख्या 7- चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि की अधिकतम सीमा ₹0 5000/- वार्षिक की जाती है ।	विद्यमान नियमों के बिन्दू संख्या 7 में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (6) वित्त (नियम)/2012 दिनांक 08.08.13 द्वारा पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स की चिकित्सा पुनर्भरण की वार्षिक सीमा के अनुसार निम्नांकित संशोधन किया जाता है:- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Category of Pnesioners/ F. Pensioners</th> <th style="width: 50%;">Amount of Cost Ceiling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) Pensioners below the age of 75 years</td> <td>Rs. 10000/- per annum</td> </tr> <tr> <td>(ii) Pensioners who have attained the age of 75 years or above</td> <td>Rs. 20000/- per annum</td> </tr> </tbody> </table>	Category of Pnesioners/ F. Pensioners	Amount of Cost Ceiling	(i) Pensioners below the age of 75 years	Rs. 10000/- per annum	(ii) Pensioners who have attained the age of 75 years or above	Rs. 20000/- per annum	<p>वित्त एवं लेखा</p>
Regulation No.	Existing	Proposed Amendment												
विश्वविद्यालय की अधिसूचना 9460/09.02.09	म.द.स. विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 () विवले-III/ मदसवि/2008/9460 दिनांक 09.02.09 एवं कार्यालय आदेश संख्या 18504 दिनांक 04.05.11 द्वारा पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स की चिकित्सा पुनर्भरण की वार्षिक सीमा निम्नांकित थी:- बिन्दू संख्या 7- चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि की अधिकतम सीमा ₹0 5000/- वार्षिक की जाती है ।	विद्यमान नियमों के बिन्दू संख्या 7 में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (6) वित्त (नियम)/2012 दिनांक 08.08.13 द्वारा पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स की चिकित्सा पुनर्भरण की वार्षिक सीमा के अनुसार निम्नांकित संशोधन किया जाता है:- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Category of Pnesioners/ F. Pensioners</th> <th style="width: 50%;">Amount of Cost Ceiling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) Pensioners below the age of 75 years</td> <td>Rs. 10000/- per annum</td> </tr> <tr> <td>(ii) Pensioners who have attained the age of 75 years or above</td> <td>Rs. 20000/- per annum</td> </tr> </tbody> </table>	Category of Pnesioners/ F. Pensioners	Amount of Cost Ceiling	(i) Pensioners below the age of 75 years	Rs. 10000/- per annum	(ii) Pensioners who have attained the age of 75 years or above	Rs. 20000/- per annum						
Category of Pnesioners/ F. Pensioners	Amount of Cost Ceiling													
(i) Pensioners below the age of 75 years	Rs. 10000/- per annum													
(ii) Pensioners who have attained the age of 75 years or above	Rs. 20000/- per annum													
<p>निर्णय</p>	<p>पेंशनर/परिवार पेंशनर की चिकित्सा पुनर्भरण की वार्षिक सीमा में राज्य सरकार के अनुरूप नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उक्त संशोधन राज्य सरकार के आदेश की दिनांक से लागू करने का निर्णय लिया गया।</p>													
<p>मद सं. 22</p>	<p>छात्र बजरंग लाल विश्नोई, एल.एल.बी. प्रथम वर्ष परीक्षा 2004 में अनुक्रमांक 1628 के तहत प्रविष्ट हुआ तथा परीक्षा परिणाम पूरक होने पर पूरक परीक्षा 2004 में अनुक्रमांक 275705 के तहत प्रविष्ट हुआ। पूरक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय मुख्य परीक्षा के वास्तविक पार्ट मार्क्स 281 अंक के स्थान पर 294+136 (पूरक परीक्षा के प्राप्तांक) अंकित होने के आधार पर कुल योग 430 में 2 अंकों का ग्रेस देते हुए उत्तीर्ण घोषित किया गया। जबकि वास्तविक पार्ट मार्क्स 281+136 (पूरक परीक्षा प्राप्तांक) के आधार पर परिणाम अनुत्तीर्ण होता है। प्रथम वर्ष उत्तीर्ण की अंकतालिका के आधार पर छात्र ने द्वितीय वर्ष परीक्षा 2006 में तथा तृतीय वर्ष परीक्षा 2007 में उत्तीर्ण कर ली। छात्र को उपरोक्त तीनों अंकतालिका जारी हो गई है। छात्र को जारी की गई त्रुटिपूर्ण मूल अंकतालिकाएं विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करने हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से छः (6) पत्र भेजे गये जो डाक विभाग द्वारा अनडिलीवर्ड लौटा दिये गये (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXIV) इसी क्रम में दिनांक 24.06.14 को राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति, अजमेर के संस्करण में विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना प्रकाशित करवाई गई (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXV)। इसके उपरान्त भी श्री बजरंग लाल विश्नोई ने</p>	<p>परीक्षा</p>												

	<p>उपरोक्त तीनों अंकतालिका विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा नहीं की है ।</p> <p>यह प्रकरण अध्यादेश 169-एच(2) के अन्तर्गत आता है । संबंधित अध्यादेश 169-एच(2) निम्नानुसार है:-</p> <p>" In an error is notice after the declaration of the result/issue of mark-sheet/certificate/degree/diploma, as the case may be and rectification of the error involves a change in the marks obtained by the candidate or in his result to his disadvantage, the syndicate shall have the power to order necessary correction in result/ mark-sheet/provisional certificate/degree diploma, as the case may be in the event of the candidate refusing to submit or not responding to the requirement of submitting the marks-sheet/or certificate/degree/diploma, as the case may be for necessary corrections the syndicate may cancel his examination and further take such other action as deems proper."</p> <p>अतः विश्वविद्यालय के अध्यादेश 169-एच(2) के अनुसार छात्र का एल.एल.बी. प्रथम वर्ष पूरक परीक्षा 2004 (अनुक्रमांक 275705) द्वितीय वर्ष (एकेडमिक) मुख्य परीक्षा 2006, (अनुक्रमांक 3411) व तृतीय वर्ष (प्रोफेशनल) पूरक परीक्षा 2007, (अनुक्रमांक 377079) का परीक्षा परिणाम निरस्त करने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।</p>	
निर्णय	प्रकरण के तथ्यों के साथ पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं. 23	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक F-6 (184) MLSU/Estt./Grade-II/10/970 दिनांक 28.05.2010 द्वारा इस विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिवों को 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर पद को अपग्रेड करके रनिंग पे बैंड पी.बी.-3 रूपये 15600-39100 में ग्रेड पे 6600 में उप कुलसचिव क्रमोन्नत किये जाने पर विचार करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXVI)	संस्थापन
निर्णय	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में पदों को क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया को बोर्ड ने सिद्धान्तः स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया ।	

<p>मद सं. 24</p>	<p>विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन विभाग से आचार्य पद से अक्टूबर, 2002 में सेवानिवृत्त प्रो. एन.एम. खण्डेलवाल की 6th Pay Commission के सुसंगत UGC Fixation के फलस्वरूप 01.04.2002 को देय एरियर राशि का भुगतान 01.04.2002 को नहीं किया जाकर अप्रैल, 2011 में भुगतान किए जाने तथा एरियर राशि पर दिनांक 01.04.2002 से अप्रैल, 2004 की अवधि का ब्याज का भुगतान पृथक से कर दिए जाने के कारण डॉ. खण्डेलवाल द्वारा एरियर भुगतान की गई राशि रूपये 1,80,149/- मात्र अप्रैल, 2011 अर्थात् 07 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की राशि की मांग की जा रही है ।</p> <p>वेतनमान एरियर के विलंब से भुगतान किए जाने के संबंध में ब्याज देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है । पेंशन के विलंब से भुगतान किए जाने पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किए जाने बाबत राजस्थान पेंशन नियम में आवश्यक प्रावधान है ।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2013-14 में तत्कालीन वित्तीय सलाहकार के परमर्श पर तत्कालीन कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 09.11.13 द्वारा प्रकरण में ब्याज राशि के भुगतान के संबंध में नीतिगत निर्णय हहेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।</p> <p>अतः प्रो. एन.एम. खण्डेलवाल को अप्रैल, 2011 में भुगतान की गई राशि रु. 1,80,149/- पर 07 वर्ष की विलंब अवधि के लिए ब्याज की राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय तथा ब्याज की दर का निर्धारण किए जाने बाबत प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।</p>	<p>वित्त एवं लेखा</p>						
<p>निर्णय</p>	<p>वित्त नियंत्रक इस प्रकरण पर स्पष्ट प्रस्ताव रखें, जिसे सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।</p>							
<p>मद सं. 25</p>	<p align="center">Proposed Amendment in Pension Regulations 1990 of MDS University, Ajmer. (in reference of Order no F.12(3)FD/Rules/2010 Part-I Jaipur dated : 24-09-2014 of Govt. of Rajasthan, Finance Dept.)</p> <table border="1" data-bbox="456 1464 1328 1968"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 1464 626 1529">Regulation No.</th> <th data-bbox="631 1464 1068 1529">Existing</th> <th data-bbox="1073 1464 1328 1529">Proposed Amendment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 1536 626 1968">41 (b)</td> <td data-bbox="631 1536 1068 1968"> <p>The amount of family pension at enhanced rates shall be payable as follows :-</p> <p>(i) In the event of death of an employee while in service having rendered not less than 7 years continuous service prior to his death, the family pension payable shall be at 50% of the emoluments last drawn or twice the amount of family pension admissible under clause (a) above, whichever is less, for a period of 7 Years following the date of death or till the date on which the deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived, whichever period is shorter.</p> <p>(ii) In the event of death after retirement, the family pension payable shall be at</p> </td> <td data-bbox="1073 1536 1328 1968"> <p>In the aforesaid rules – the existing words and figures "age of 65 Years" appearing in clause (i) and (ii) of sub-rule (b) of Rule 41 shall be substituted by the words and figures : "age of 67 Years".</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Regulation No.	Existing	Proposed Amendment	41 (b)	<p>The amount of family pension at enhanced rates shall be payable as follows :-</p> <p>(i) In the event of death of an employee while in service having rendered not less than 7 years continuous service prior to his death, the family pension payable shall be at 50% of the emoluments last drawn or twice the amount of family pension admissible under clause (a) above, whichever is less, for a period of 7 Years following the date of death or till the date on which the deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived, whichever period is shorter.</p> <p>(ii) In the event of death after retirement, the family pension payable shall be at</p>	<p>In the aforesaid rules – the existing words and figures "age of 65 Years" appearing in clause (i) and (ii) of sub-rule (b) of Rule 41 shall be substituted by the words and figures : "age of 67 Years".</p>	<p>वित्त एवं लेखा</p>
Regulation No.	Existing	Proposed Amendment						
41 (b)	<p>The amount of family pension at enhanced rates shall be payable as follows :-</p> <p>(i) In the event of death of an employee while in service having rendered not less than 7 years continuous service prior to his death, the family pension payable shall be at 50% of the emoluments last drawn or twice the amount of family pension admissible under clause (a) above, whichever is less, for a period of 7 Years following the date of death or till the date on which the deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived, whichever period is shorter.</p> <p>(ii) In the event of death after retirement, the family pension payable shall be at</p>	<p>In the aforesaid rules – the existing words and figures "age of 65 Years" appearing in clause (i) and (ii) of sub-rule (b) of Rule 41 shall be substituted by the words and figures : "age of 67 Years".</p>						

	50% of the emoluments last drawn or twice the amount of family pension admissible under clause (a) above, whichever is less, till the date on which the deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived or for 7 years, whichever period is shorter, but in no case the amount of family pension shall exceed the pension sanctioned to the employee at the time of retirement.														
	These orders shall come into force with effect from 24-09-2014. (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXVII)														
निर्णय	उक्त संशोधन राज्य सरकार के आदेश की दिनांक से लागू करने का निर्णय लिया गया ।														
मद सं. 26	वित्त समिति की दिनांक 05.08.2013 को सम्पन्न 32वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXVIII)		वित्त एवं लेखा												
निर्णय	वित्त समिति की दिनांक 05.08.2013 को सम्पन्न 32वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।														
मद सं. 27	<p>आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्रांक: एफ.4(402) आयो/निकाशि/सम्बद्धता/2014/3238 दि. 8.10.2014 जो कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के क्षेत्राधिकार में स्थित सम्बद्धता प्राप्त 03 राजकीय विधि महाविद्यालयों यथा राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर तथा राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर में संचालित त्री-वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता के निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं किये जाने के आधार पर उक्त विधि महाविद्यालयों के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक दण्ड लगाये जाने की कार्यवाही के विरुद्ध प्राप्त हुआ है। उक्त विधि महाविद्यालयों के विरुद्ध निम्नानुसार आर्थिक दण्ड लगाया गया था:</p> <table border="0"> <tr> <td>1.</td> <td>राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा</td> <td>रु. 8,70,000/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर</td> <td>रु. 2,85,000/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>रु. 1,05,000/-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर</td> <td>रु. 7,80,000/-</td> </tr> </table> <p>राजकीय विधि महाविद्यालय द्वारा एलएलएम (स्व:वित्तपोषी) पाठ्यक्रम की सत्र 2013-2014 की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु आर्थिक दण्ड रु. 1,05,000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाये जाने के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2013-2014 की एलएलएम (स्व:वित्तपोषी) पाठ्यक्रम</p>		1.	राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा	रु. 8,70,000/-	2.	राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	रु. 2,85,000/-			रु. 1,05,000/-	3.	राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर	रु. 7,80,000/-	शैक्षणिक-II
1.	राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा	रु. 8,70,000/-													
2.	राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	रु. 2,85,000/-													
		रु. 1,05,000/-													
3.	राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर	रु. 7,80,000/-													

की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि का पत्र जारी किया जा चुका है। किन्तु महाविद्यालय द्वारा डिप्लोमा इन लैबर लॉ एवं डिप्लोमा इन क्रिमिनॉलोजी पाठ्यक्रमों की सत्र 2013-2014 व एलएलबी पाठ्यक्रम की सत्र 2014-2015 की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु आर्थिक दण्ड रु. 2,85,000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं करवाया गया है, जिससे महाविद्यालय की सत्र 2013-2014 की डिप्लोमा इन लैबर लॉ एवं डिप्लोमा इन क्रिमिनॉलोजी पाठ्यक्रमों एवं सत्र 2014-2015 की एलएलबी पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि लम्बित है।

राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर द्वारा विधि पाठ्यक्रम की सत्र 2011-2012 से 2014-2015 की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु आर्थिक दण्ड रु. 7,80,000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं कराये जाने के आधार पर अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि लम्बित है।

राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा द्वारा विधि पाठ्यक्रम की सत्र 2012-2013 से 2014-2015 की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु आर्थिक दण्ड रु. 8,70,000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं कराये जाने के आधार पर अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि लम्बित है।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक: एफ. 4(402)आयो/निकाशि/सम्बद्धता/2014/3238 दि. 8.10.2014 के द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर में भी विश्वविद्यालय द्वारा विधि पाठ्यक्रम तथा डीएलएल एण्ड डीसीएल तीनों पाठ्यक्रमों की अलग-अलग शिक्षकों की आवश्यकता बताई है जो कि अनुचित है। राज्य सरकार के द्वारा जो शिक्षक स्नातक पाठ्यक्रम पढाने हेतु नियुक्त होते हैं उन्हीं शिक्षकों को डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी अध्यापन कार्य करवाना होता है। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अलग से शिक्षक नियुक्त नहीं किये जा सकते। जहां तक शिक्षकों की कमी का सवाल है विभाग द्वारा विधि सहित विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवादी गई है शीघ्र ही महाविद्यालय में मानदण्डानुसार शिक्षक नियुक्त कर दिये जावेंगे। महाविद्यालय में संचालित स्व:वित्तपोषी पाठ्यक्रम (एलएलएम) हेतु महाविद्यालय द्वारा राजकीय नीति के तहत ऐसे सेवानिवृत्त व्याख्याताओं को अध्यापन कार्य हेतु रखा गया था जिन्होंने कॉलेज शिक्षा में लगभग 30 से 35 वर्ष तक राजकीय सेवा सम्पादित की है किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को अयोग्य माना है, जो कि नियमानुसार गलत है। शिक्षकों की कमी हेतु लगाई गई शास्ति के क्रम में विभाग द्वारा विधि सहित

विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवादी गई है शीघ्र ही महाविद्यालय में मानदण्डानुसार शिक्षक नियुक्त कर दिये जावेंगे। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि विधि महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करने से पूर्व ही सम्बद्धता प्रदान की जावे ताकि महाविद्यालय सत्र प्रारम्भ करने से पूर्व बार काउंसिल ऑफ इण्डिया

	<p>से मान्यता प्राप्त कर सके।</p> <p>विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में से कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक दण्ड लगाये जाने की शक्तियों की वैधता को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका दायर की गई है, जो कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है।</p> <p>इसके अतिरिक्त विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक: एफ.26(11)आर.बी./2008/8946 दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 के द्वारा सूचित किया है कि निर्देशानुसार निवेदन है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा राजकीय महाविद्यालय, उनियारा (टोंक) पर लगाई गई शास्ति राशि रु. 10.30 लाख मात्र को माफ किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXIX)</p> <p>अतः आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXX)</p>	
निर्णय	<p>आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र के आधार पर एवं राजकीय विधि महाविद्यालयों को आर्थिक दण्ड के भुगतान हेतु राज्य सरकार से राशि की स्वीकृति में होने वाले विलम्ब के कारण राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर, राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा तथा राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर को विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि जारी नहीं की गई है। फलतः बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विधि महाविद्यालयों की सम्बद्धता का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है एवं महाविद्यालयों में नवीन प्रवेश पर रोक है। अतः राज्य सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए एवं राजकीय विधि महाविद्यालयों में संचालित उच्च स्तर के विधि पाठ्यक्रमों की शिक्षा क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर को सत्र 2013-14 की डीएलएल व डीसीएल पाठ्यक्रमों व सत्र 2014-15 की विधि पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु आर्थिक दण्ड रु. 2,85,000/-, राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा को सत्र 2012-13 से 2014-15 की विधि पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु आर्थिक दण्ड रु. 8,70,000/- एवं राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर को सत्र 2011-12 से 2014-15 की विधि पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु आर्थिक दण्ड रु. 7,80,000/- सत्र 2014-15 की समाप्ति से पूर्व विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाये जाने हेतु राज्य सरकार एवं महाविद्यालयों को सूचित किया जावे तथा फिलहाल उक्त तीनों विधि महाविद्यालयों की लम्बित अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि सत्र 2014-15 तक सशर्त जारी की जावे।</p>	

<p>मद सं. 28</p>	<p>प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक: 10698 दिनांक 2.12.2014 के द्वारा महाविद्यालय में संचालित स्व:वित्तपोषी योजनांतर्गत संचालित पाठ्यक्रम डी.सी.डब्लू.ए., वाई.आई.सी.सी. एवं डी.वाई.ई.एच.एस. का सत्र 2006-2007 से 2013-2014 तक बकाया सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क राशि रु. 10,20,000/- की छूट प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्रांक: 1299-1300 दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 एवं पत्रांक: 1919 दिनांक 23.12.2013 की छाया प्रतियां भी संलग्न की गई है। (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXXXXI)</p> <p>श्रीमान् निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय को पत्रांक: 1919 दिनांक 23.12.2013 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में संचालित स्व:वित्तपोषी योजनांतर्गत संचालित पाठ्यक्रम डी.सी.डब्लू.ए., वाई.आई.सी.सी. एवं डी.वाई.ई.एच.एस. का सत्र 2006-2007 से 2013-2014 तक बकाया सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क राशि रु. 10,20,000/- की छूट प्रदान करने बाबत् सूचित किया गया है।</p> <p>इस सम्बन्ध में श्रीमान् निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विश्वविद्यालय पत्रांक: 25982 दिनांक 12.11.2014 के द्वारा सूचित किया जा चुका है कि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में संचालित स्व:वित्तपोषी योजनांतर्गत डी.सी.डब्लू.ए., वाई.आई.सी.सी. एवं डी.वाई.ई.एच.एस. पाठ्यक्रमों का संचालन बन्द किये जाने बाबत् विश्वविद्यालय के परिनियम 17 (8) के प्रावधानानुसार महाविद्यालय के शासी निकाय (स्व:वित्तपोषी योजनांतर्गत पाठ्यक्रम संचालन हेतु गठित समिति) के प्रस्ताव के बिना महाविद्यालय पत्रांक: 4039 दिनांक 26.12.2005, पत्रांक: 14188 दिनांक 16.12.2006 तथा पत्रांक: 10479 दिनांक 15.11.2007 के द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार आवेदन नहीं किये जाने के आधार पर उपरोक्त स्व:वित्तपोषी योजनांतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों का सम्बद्धता शुल्क व विलम्ब शुल्क रु. 10,20,000/- देय है।</p> <p>अतः राजकीय महाविद्यालय, अजमेर व निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में संचालित स्व:वित्तपोषी योजनांतर्गत संचालित पाठ्यक्रम डी.सी.डब्लू.ए., वाई.आई.सी.सी. एवं डी.वाई.ई.एच.एस. का सत्र 2006-2007 से 2013-2014 तक बकाया सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क राशि रु. 10,20,000/- के सम्बन्ध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>शैक्षणिक-II</p>
<p>निर्णय</p>	<p>प्रकरण को पूर्ण तथ्यों के साथ मय प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।</p>	

मद सं. 29	विद्या परिषद् की दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई 49वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXII)	शैक्षणिक-1
निर्णय	विद्या परिषद् की दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई 49वीं बैठक के कार्यवृत्त को इस प्रेक्षण के साथ अनुमोदित किया कि प्रबन्ध बोर्ड व विद्या परिषद् के सदस्य प्रो. गुलराज कलसी कोहली एवं प्रो. बी.पी. सारस्वत ने अवगत कराया कि विद्या परिषद् के मद संख्या 16 के निर्णय क्रमांक 20 पर टंकित पर्यटन प्रबन्ध संभवतः त्रुटिवश छप गया है तथा इस संबंध में पत्र भी प्रस्तुत किया है। बोर्ड ने निर्देशित किया कि विद्या परिषद् की 49वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के समय उक्त सदस्यों के पत्र को विद्या परिषद् के विचारार्थ रखा जावे।	
मद सं 30	विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के संविधान के पृष्ठ एक पर अंकित क्रमांक एक अनुसार प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के दो सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए खेल बोर्ड में सदस्य के रूप में मनोनीत करना।	स्पोर्ट्स बोर्ड
निर्णय	बोर्ड ने, प्रबन्ध बोर्ड के निम्नांकित दो सदस्यों को विश्वविद्यालय खेल बोर्ड पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा प्रबन्ध बोर्ड की सदस्यता की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए मनोनीत किये जाने का निर्णय लिया : 1. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर 2. प्रो. गुलराज कलसी कोहली	
मद सं 31	विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के संविधान के पृष्ठ एक पर अंकित टिप्पणी संख्या दो अनुसार प्रबन्ध बोर्ड द्वारा खेल बोर्ड में मनोनीत दो सदस्यों में से एक सदस्य को तीन वर्ष की अवधि के लिए खेल बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करना।	स्पोर्ट्स बोर्ड
निर्णय	बोर्ड ने, प्रबन्ध बोर्ड सदस्य प्रो. लक्ष्मी ठाकुर को विश्वविद्यालय खेल बोर्ड का तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा प्रबन्ध बोर्ड की सदस्यता की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए अध्यक्ष मनोनीत किये जाने का निर्णय लिया गया।	
मद सं 32	राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा चिकित्सा परिचर्या एवं पुनर्भरण से संबंधित जारी अधिसूचनाओं/आदेशों में वर्णित प्रावधानों को राज्य सरकार द्वारा प्रभावी की गयी दिनांक से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने पर विचार करना : 1. Notification No. F 1 (3)FD (Rules)/2011 Jaipur, dated 30 May, 2011 (Rajasthan Medical Officers and Nursing Staff Fees Rules, 2011) 2. Order No. F 6 (2)FD (Rules)/2013 Pt.-I Jaipur, dated 05 March, 2014 (Rajasthan Civil Services (Medical	वित्त एवं लेखा

	<p>Attendance) Rules, 2008-List of "Approved Hospitals")</p> <p>3. Order No. F 6 (2)FD (Rules)/2013 Pt.-II Jaipur, dated 07 August, 2014 (Amendments in Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013. Appendix 1: List of "Approved Hospitals" and Appendix- IX, X, XI, XIII, XV & XVI)</p> <p>4. Order No. F 6 (2)FD (Rules)/2013 Pt.-II Jaipur, dated 09 September, 2014 (Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013, Appendix - 1: List of "Approved Hospitals")</p> <p>5. Order No. F 6 (2)FD (Rules)/2013 Pt.-II Jaipur, dated 09 September, 2014 (Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013, Appendix - 1: List of "Approved Hospitals")</p> <p>अधिसूचनाओं एवं आदेशों की प्रतिलिपियाँ संलग्न है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXIII)</p>	
निर्णय	राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा परिचर्या एवं पुनर्भरण से संबंधित जारी उक्त अधिसूचनाओं/आदेशों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया ।	
मद सं. 33	<p>प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर) से प्राप्त पत्रांक 655 दिनांक 15.11.2014 के द्वारा प्रदत्त महाविद्यालय के विरुद्ध सत्र 2013-14 की बी.ए. पाठ्यक्रम की प्रदत्त सशर्त नवीन अस्थायी सम्बद्धता की पुष्टि हेतु लगाये गये आर्थिक दण्ड रू. 1,20,000/- से मुक्ति बाबत निवेदन किया गया है । इस संबंध में लेख है कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय पत्रांक 9101 दिनांक 23.05.14 के द्वारा 30 जून, 2014 तक कमियों की पूर्ति कर अनुपालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भिजवाये जाने के अध्यक्षीन बी.ए. पाठ्यक्रम की सशर्त नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी । महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता पत्र में अंकितानुसार कमियों की पूर्ति एवं अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किए जाने के आधार पर सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं आदेशानुसार महाविद्यालय को विश्वविद्यालय पत्रांक 16270 दिनांक 05.08.14 के द्वारा सत्र 2013-14 की बी.ए. पाठ्यक्रम की प्रदत्त सशर्त नवीन अस्थायी सम्बद्धता की पुष्टि हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं किए जाने के आधार पर आर्थिक दण्ड रू. 1,20,000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने बाबत सूचित किया गया था ।</p> <p>महाविद्यालयों में कार्यभार के अनुसार निर्धारित मानदण्डानुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने, पुस्तकें क्रय नहीं किये जाने एवं निर्धारित अवधि में अनुपालना नहीं भिजवाये जाने के आधार पर ही प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 18349 दिनांक 22.05.2012 के प्रावधानानुसार ही महाविद्यालय के विरुद्ध आर्थिक दण्ड लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।</p>	शैक्षणिक-II

	अतः राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर) से प्राप्त उक्त पत्र प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXIV)	
निर्णय	महाविद्यालय की सम्बद्धता जारी रखते हुए शास्ती की राशि जमा कराने हेतु महाविद्यालय एवं राज्य सरकार को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं. 34	<p>ध्यातव्य है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की स्थापना के पश्चात् वर्ष 1988 से 2007 तक के सफल मेधावी परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कुलाधिपति स्वर्ण पदक से पिछले 5 दीक्षान्त समारोह में नवाजा गया था ।</p> <p>विदित है कि वर्ष 1988 से 2007 तक 599 स्वर्ण एवं प्रायोजित स्वर्ण पदक, 42 प्रायोजित रजत पदक एवं 11 कुलाधिपति स्वर्ण पदकों का निर्माण कराया गया था । उक्त 5 दीक्षान्त समारोह में केवल 514 स्वर्ण पदक एवं प्रायोजित स्वर्ण पदक, 31 प्रायोजित रजत पदक एवं 6 कुलाधिपति स्वर्ण पदकों का वितरण अभी तक किया गया है । अवितरित स्वर्ण पदक एवं प्रायोजित स्वर्ण पदक, प्रयोजित रजत पदक तथा कुलाधिपति स्वर्ण पदकों की संख्या क्रमशः 85, 11 एवं 05 है जो अभी तक विश्वविद्यालय में जमा है ।</p> <p>लेख है कि उक्त पदकों के हकदार सफल मेधावी छात्र/छात्राओं ने अभी तक सम्पर्क कर इन पदकों को लेने की मंशा नहीं जताई तथा विश्वविद्यालय पिछले 26 वर्षों से इन पदकों की सुरक्षा कर रहा है । इन पदकों को सफल परीक्षार्थियों का उजरदाया होने के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा न ही उक्त पदकों को उन पर नाम अंकित होने के कारण दूसरे सफल मेधावी छात्र/छात्राओं को वितरित किया जा सकता है । उक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशानुसार आगामी दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कुलाधिपति स्वर्ण पदक में इस प्रकार की छपाई अंकित हो कि वह खुला पदक (Open Medal) के रूप में निर्मित हो ताकि दीक्षान्त समारोह में किसी भी सफलतम परीक्षार्थी को उक्त पदक वितरित किया जा सके । इस हेतु निर्देशानुसार स्वर्ण पदक एवं रजत पदकों में छात्र/छात्राओं का नाम, विषय तथा वर्ष अंकित नहीं करवाने का निर्णय दीक्षान्त समारोह समिति की अनुशंषा दिनांक 09.10.2014 के तहत किया गया है ।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।</p>	उपाधि/दीक्षान्त
निर्णय	पदकों का निर्माण पूर्वानुसार ही कराये जाने का निर्णय लिया गया ।	

<p>मद सं. 35</p>	<p>प्रतिवेदन है कि प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 21 दिनांक 08.01.2010 की अनुपालना करते हुए वर्ष 1997-98 के सहायक पद के 34 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत 02 पदों पर विभागीय चयन समिति की अनुशंषाओं के अनुसार 02 वरिष्ठ लिपिकों को सहायक के पद पर दिनांक 31 मार्च 1998 से इस शर्त के साथ पदोन्नति प्रदान की गई थी कि यह पदोन्नति प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के अध्यक्षीन होगी । तदनुसार संबंधित पदोन्नति की पुष्टि हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 26 मार्च, 2011 की बैठक में प्रस्तुत किया गया । प्रबन्ध बोर्ड ने मद संख्या 24 के निर्णय अन्तर्गत प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित कर दिया तत्पश्चात् प्रकरण पुनः 08 अगस्त, 2011 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत हुआ जिसे मद संख्या 05 के निर्णय में स्थगित कर दिया गया और यह भी निर्णय किया कि पिछली बैठकों में प्रतिवेदनार्थ/पुष्टि हेतु जो प्रकरण लम्बित है उनकी सूची बनाई जाए जिसकी मॉनीटरिंग माननीय सदस्य प्रोफेसर पी.एस. वर्मा करेंगे तत्पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड ने दिनांक 23 फरवरी, 2012 की बैठक में दिनांक 08.08.2011 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते समय निर्णय संख्या 05 को संशोधित किया तदनुसार प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, कुलसचिव को वांछित सूचना उपलब्ध करायेंगे ताकि अग्रिम कार्यवाही संभव हो सके, तब तक उक्त मद स्थगित किया जाये ।</p> <p>तब से प्रकरण लंबित है । अब न तो पी.एस. वर्मा सदस्य है न ही उस समय बैठक में उपस्थित कुलसचिव है, न ही निर्णीत अनुवर्ती कोई कार्यवाही प्रकरण में हुई है परिणामस्वरूप दोनो पदोन्नत कार्मिक प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि की प्रतीक्षा में निरन्तर पदोन्नत कार्यरत है । इस पदोन्नति के विरुद्ध कुछ वरिष्ठ लिपिकों ने न्यायालय में याचिका दायर की है जो विचाराधीन है तथा यह पदोन्नति आदेश न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन है । वस्तुस्थिति प्रतिवेदनीय है एवं प्रकरण में निर्णय किया जाना प्रार्थित है ।</p>	<p>संस्थापन</p>
<p>निर्णय</p>	<p>बोर्ड ने स्पष्ट किया कि, विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की अनुशंषाएं प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत करने की व्यवस्था नहीं है किन्तु इस प्रकरण में तत्कालीन कुलपति महोदय के आदेशों के तहत इसे प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया है । इसलिए याचिका क्रमांक 13926/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन प्रतिवेदित पदोन्नति की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया, साथ ही माननीय न्यायालय में शीघ्र सुनवाई की कार्यवाही किये जाने के लिए भी निर्देशित किया ।</p> <p>प्रबन्ध बोर्ड ने यह भी निर्णय किया कि निर्णय संख्या 21 दिनांक 08.01.2010 के अनुसार 34 प्रतिशत कोटे के शेष पदों की वर्षवार विभागीय चयन समिति से पदोन्नति की जाय जो उक्त याचिका में दिनांक 06.12.2010 को प्रदत्त आदेश के अध्यक्षीन होगी ।</p>	

<p>मद सं. 36</p>	<p>महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षकों तथा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा अवधि में दिए जाने वाला पारिश्रमिक सत्र 2003-04 से ही आज दिनांक 23.12.2014 तक उन्हीं दरों से भुगतान किया जा रहा है। सत्र 2003-04 में निर्धारित दरों से 2014-15 में परीक्षक एवं वीक्षक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। परीक्षा कार्यों को सम्पन्न कराने में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार परेशानी हो रही है।</p> <p>अभी हाल ही में मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 9 जुलाई, 2014 के बिन्दु सं.टी-13 के द्वारा पारित निर्णय माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षकों एवं कार्यरत स्टाफ को दिया जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि कर आदेश दिनांक 19.10.14 को जारी कर दिया तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर ने परीक्षात्मक कार्यों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया गया है। इन्हीं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ने जिस प्रकार से दरों में वृद्धि की है तदनुसृत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में भी परीक्षा संबंधी कार्यों के पारिश्रमिक में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव संलग्न है। (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXXXXV)</p>	<p>परीक्षा नियंत्रक</p>
<p>निर्णय</p>	<p>परीक्षा संबंधी कार्यों के पारिश्रमिक में अभिवृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं स्टाफ के अतिरिक्त शेष को वीक्षण कार्य हेतु परीक्षाओं की पूर्ण अवधि के वाहन भत्ते का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।</p>	
<p>मद सं. 37</p>	<p>प्रबंध बोर्ड की 79वीं बैठक दिनांक 03.12.12 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXVI)</p>	<p>शैक्षणिक-1</p>
<p>निर्णय</p>	<p>प्रबंध बोर्ड की 79वीं बैठक दिनांक 03.12.12 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया कि अनुपालना रिपोर्ट के अन्य मद के बिन्दु संख्या 02 एवं 03 में प्रक्रियाधीन अंकित किया गया है की अविलंब पालना सुनिश्चित की जावे।</p>	
<p>मद सं. 38</p>	<p>प्रबंध बोर्ड में निर्णय संख्या 03 की अनुशंसा संख्या 08 दिनांक 28-12-2002 के निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टेनोग्राफर्स के पद के वेतनमान रुपये 5500-175-9000 दिनांक 01-9-1998 से करने का निर्णय किया। बिना किसी आपत्ति के उसी निर्णय की अनुपालना समय कर ली गई और कार्यरत स्टेनोग्राफर्स को संशोधित वेतनमान दिनांक 11-3-2003 को जारी आदेशानुसार का लाभ वित्त नियंत्रक की सहमति से दिनांक 01-9-1998 से प्रदान कर दिया</p>	<p>संस्थापन</p>

गया था।

राज्य सरकार ने 23-5-2005 को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के स्टेनोग्राफर्स को दिनांक 01-9-1998 से संशोधित वेतनमान लागू किये जाने की अनुमति दिया जाना संभव नहीं है इसलिये विश्वविद्यालय ने इस संबंध में दिनांक 11-3-2003 को जो आदेश जारी किया है उसे वापिस लिया जाकर अधिक भुगतान की वसूली करने की कार्यवाही की जाये।

प्रबंध बोर्ड ने निर्णय संख्या 04/14 दिनांक 01-7-2005 में राज्य सरकार के उक्त आशय पर विचार किया और निर्णय किया कि इस संबंध में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त की जाये (क्योंकि वे विश्वविद्यालय भी अपने स्टेनोग्राफर्स को संशोधित वेतनमान पूर्व में दे चुके थे)।

नवम्बर 2006 में विश्वविद्यालय में महालेखाकार की ओर से अंकेक्षण दल ने अंकेक्षण का कार्य किया और निरीक्षण अवधि 2000-2001 से 2004-2005 में इस प्रकरण पर राज्य सरकार की उक्त आपत्ति को आधार बनाकर आक्षेप अंकित किया तत्पश्चात् दिनांक 07-4-2013 के पत्र द्वारा अपने आक्षेप को भी निरस्त कर दिया परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा किया गया निर्णय सही ठहर गया।

राज्य सरकार ने दिनांक 11-01-2003 के पत्र द्वारा जो आपत्ति की थी वैसे ही निर्देश राज्य सरकार की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के स्टेनोग्राफर्स के लिये भी जारी किये गये थे। जोधपुर विश्वविद्यालय के स्टेनोग्राफर्स ने माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर में राज्य सरकार के उक्त निर्देशों के विरुद्ध याचिका क्रमांक 383/2007 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21-7-2011 को निर्णय प्रदान किया जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के स्टेनोग्राफर्स को दी गई परिवर्तित वेतन श्रृंखला 5500-9000 को वैध और सही ठहराया। इस प्रकार प्रबंध बोर्ड का निर्णय दिनांक 28-12-2002 और उसकी अनुपालना किया जाना वैध सही और प्रभावशील है।

दिनांक 02-9-2013 को प्रबंध बोर्ड के अथवा कुलपति के अथवा अन्य प्राधिकार के निर्देशों के बिना तत्कालीन वित्त नियंत्रक श्री राजेश कुमार शर्मा ने कुलसचिव की हैसियत से अपने स्तर पर ही राज्य सरकार को एक पत्र भेजकर स्टेनोग्राफर्स को भुगतान की स्वीकृति राज्य सरकार से मांगी जबकि वे दिनांक 01-9-1998 से निर्बाध भुगतान प्राप्त कर रहे हैं।

संभागीय आयुक्त कुलपति ने दिनांक 01-7-2014 को इस प्रकरण को विधिक परामर्श प्राप्त करके निर्णीत करते हुए पूछा कि "राज्य सरकार को भेजे गये पत्र का अनुमोदन क्या कुलपति से करवाया गया था।" तत्कालीन अधिकारियों ने यह जानकारी कुलपति महोदय को नहीं दी क्योंकि इस प्रकार का अनुमोदन नहीं कराया गया था।

	<p>कुलपति द्वारा इस प्रकरण को निर्णीत कर दिये जाने के बाद कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/ मदसविवि/ 2014/12516 दिनांक 04-7-2014 वर्तमान कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया। तदनुसार दिनांक 01-01-2006 से वेतन नियतन के प्रस्ताव भारित किये जाने हेतु जब वित्त नियंत्रक को प्रेषित किया गया तो आदेशों की अनुपालना करने के बजाय पुनः यह आपत्ति दर्ज कर दी की राज्य सरकार को भेजे गये पत्र के अनुसार स्वीकृति मंगाये परिणामतः प्रबंध बोर्ड की अनुपालना अनाधिकृत पत्र की आड़ में लंबित है।</p> <p>उक्त तथ्यों एवं स्थितियों पर विचार कर निर्णय करना।</p>	
निर्णय	<p>तत्कालीन कुलपति महोदय के सुविचारित निर्णय की अनुपालना में कुलसचिव द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1()संस्था./मदसविवि/2014/12516 दिनांक 04.07.2014 की प्रबन्ध बोर्ड ने पुष्टि की। उक्त कार्यालय आदेश की अनुपालना की जाये। भविष्य में कोई भी शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार एवं राजभवन से पत्र व्यवहार कुलपति महोदय की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करें।</p>	
मद सं. 39	<p>प्रबंध बोर्ड की निर्णय संख्या 21 दिनांक 08-01-2010 में निर्णय किया था कि वर्ष 2005 में वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक की अवधि में रिक्त रहे अनुभागाधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यता अनुसार) विभागीय पदोन्नति समिति और 34 प्रतिशत पदों पर (योग्यता कम वरीयता अनुसार) विभागीय चयन समिति आयोजित करके वर्षवार पदोन्नति के स्थान पर वर्ष 2005 से पदोन्नति दिये जाने के कारण इस अवधि (वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक) में रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाये तथा यह भी निर्णय किया कि एरियर का भुगतान नहीं किया जाये।</p> <p>उक्त निर्णय अनुसार निम्नांकित कार्यवाही होनी थी:-</p> <p>(क) वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 में 66 प्रतिशत कोटा में रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति करके वर्षवार पदोन्नति।</p> <p>(ख) वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 में 34 प्रतिशत कोटा में रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति करके वर्षवार पदोन्नति।</p> <p><u>प्रतिवेदन है कि:-</u></p> <p>(क) दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को सहायक के 34 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत रिक्त दर्शाये 02 पदों पर विभागीय चयन समिति की बैठक हुई और</p>	संस्थापन

02 वरिष्ठ लिपिकों का चयन करके वर्ष 1997-1998 से सहायक के पद पर प्रबंध बोर्ड की पुष्टि के अध्यक्षीन पदोन्नति आदेश जारी कर दिये गये तथा पदोन्नति आदेश दिनांक 26 मार्च, 2011 को हुई प्रबंध बोर्ड की बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये। प्रबंध बोर्ड ने मद स्थगित कर दिया। निर्णय की प्रतीक्षा है किन्तु पदोन्नत दोनों कार्मिक निरन्तर सहायक के पद पर कार्यरत हैं इस पदोन्नति के विरुद्ध कुछ वरिष्ठ लिपिकों ने न्यायालय में याचिका दायर की है जो विचाराधीन है तथा यह पदोन्नति आदेश न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन है।

(ख) 66 प्रतिशत कोटा के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही करने के आदेश 01-01-2012 को जारी हुए। आरंभिक बैठकें 12-9-2013 और 13-9-2013 को अंततः 24-10-2013 को सम्पन्न हुई।

(ग) इसी अवधि में दिनांक 03-10-2013 को जारी आदेश द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2013-2014 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु प्रशासनिक निर्णय हुआ और समिति का गठन हुआ।

(घ) कुलपति महोदय ने वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 की वर्षवार पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन दिनांक 09-10-2014 को किया और दिनांक 11-10-2014 को अनुभागाधिकारी/सहायक/वरिष्ठ लिपिकों के वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2012-2013 तक के वर्षवार पदोन्नति के कार्यालय आदेश जारी कर दिये गये। तत्पश्चात् वर्ष 2013-2014 के अनुभागाधिकारी/सहायक/वरिष्ठ लिपिकों के 66 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कर दिया गया है और पदोन्नति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(च) इस अवधि में वर्ष 2005 में एकजाई रूप में की गई विभागीय चयन समिति की बैठकों के माध्यम से पदोन्नत अनुभागाधिकारी/सहायक/वरिष्ठ लिपिक जिनकी बाद में 66 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत पदोन्नति की पात्रता हुई उन्हें उस वर्ष में पदोन्नति प्रदान कर दी गई है, किन्तु जो 66 प्रतिशत कोटा की पदोन्नति के पात्र नहीं हुए, वे अभी भी 34 प्रतिशत कोटा में 2005 से पदोन्नत हैं।

अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय करना:-

(क) दिनांक 08-01-2010 के निर्णय में वर्षवार विभागीय चयन समिति की बैठकें अब करके भूतलक्षी प्रभाव से वर्षवार पदोन्नति दिया जाना व्यवहारिक एवं विधिसम्मत प्रकट नहीं होने के कारण इस निर्णय पर पुनर्विचार करके उपर्युक्त निर्णय प्रदान करना जिससे कि 34 प्रतिशत अभ्यांश के रिक्त पदों को

	<p>भरा जा सके।</p> <p>(ख) वरिष्ठ लिपिक/सहायक/लेखाकर/अनुभागाधिकारी के पद जो आंतरिक कर्मियों से 02 माध्यमों (66 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति समिति से तथा 34 प्रतिशत पद विभागीय चयन समिति) से भरे जाते हैं, उन प्रक्रियाओं में होने वाली जटिलताओं, आंशकाओं, विवादों एवं विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए, शत-प्रतिशत पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने पर विचार कर निर्णय करना एवं वित्तीय वर्ष 2015-2016 से तदनुसार पदोन्नति नियमों को संशोधित करने पर विचार करना जिससे कि समय रहते हुए आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति दी जा सके तथा रिक्त पदों के समाप्त होने की संभावना समाप्त हो सके।</p>																																																										
निर्णय	मद को अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित किया गया ।																																																										
मद सं.40	<p>विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु महाविद्यालयों को दी जा रही अंशदान राशि, प्रतियोगिताओं का निर्णायक शुल्क एवं स्पोर्ट्स बोर्ड सम्बद्धता शुल्क में सत्र 2015-16 से निम्नानुसार बढ़ोतरी किये जाने हेतु:-</p> <p><u>अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं हेतु 2015-16 से प्रस्तावित अंशदान राशि</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>खेल का नाम</th> <th>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा सत्र 2015-16 से आंशकित किये जाने हेतु प्रस्तावित अंशदान राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01.</td><td>ऐथलेटिक्स (म. पु.)</td><td>60,000</td></tr> <tr><td>02.</td><td>बैडमिन्टन (म. पु.)</td><td>16,000</td></tr> <tr><td>03.</td><td>बॉस्केटबॉल(पु.)</td><td>22,000</td></tr> <tr><td>04.</td><td>शतरंज(पु.)</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>05.</td><td>क्रिकेट(पु.)</td><td>25,000</td></tr> <tr><td>06.</td><td>हैण्डबॉल(म. पु.)</td><td>25,000</td></tr> <tr><td>07.</td><td>हॉकी(पु.)</td><td>22,000</td></tr> <tr><td>08.</td><td>कबडडी (पु.)</td><td>18,000</td></tr> <tr><td>09.</td><td>फुटबॉल(पु.)</td><td>22,000</td></tr> <tr><td>10.</td><td>टेनिस (म. पु.)</td><td>16,000</td></tr> <tr><td>11.</td><td>टेबिल टेनिस (म. पु.)</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>12.</td><td>वॉलीबॉल (पु.)</td><td>22,000</td></tr> <tr><td>13.</td><td>भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, शा.सौष्ठव(पु.)</td><td>15,000</td></tr> <tr><td>14.</td><td>कॉस कन्ट्री (म. पु.)</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>15.</td><td>कुश्ती (पु.)</td><td>12,000</td></tr> <tr><td>16.</td><td>खो-खो(पु.)</td><td>15,000</td></tr> <tr><td>17.</td><td>बॉक्सिंग (पु.)</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>18.</td><td>महिला खेल (बॉस्केटबॉल, बॉलीबॉल,हॉकी कबडडी एवं खो-खो)</td><td>प्रत्येक खेल हेतु रुपये 10,000 रु.(अगले सत्र से प्रस्तावित महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता को शामिल करते हुए)</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	खेल का नाम	म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा सत्र 2015-16 से आंशकित किये जाने हेतु प्रस्तावित अंशदान राशि	01.	ऐथलेटिक्स (म. पु.)	60,000	02.	बैडमिन्टन (म. पु.)	16,000	03.	बॉस्केटबॉल(पु.)	22,000	04.	शतरंज(पु.)	10,000	05.	क्रिकेट(पु.)	25,000	06.	हैण्डबॉल(म. पु.)	25,000	07.	हॉकी(पु.)	22,000	08.	कबडडी (पु.)	18,000	09.	फुटबॉल(पु.)	22,000	10.	टेनिस (म. पु.)	16,000	11.	टेबिल टेनिस (म. पु.)	10,000	12.	वॉलीबॉल (पु.)	22,000	13.	भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, शा.सौष्ठव(पु.)	15,000	14.	कॉस कन्ट्री (म. पु.)	10,000	15.	कुश्ती (पु.)	12,000	16.	खो-खो(पु.)	15,000	17.	बॉक्सिंग (पु.)	10,000	18.	महिला खेल (बॉस्केटबॉल, बॉलीबॉल,हॉकी कबडडी एवं खो-खो)	प्रत्येक खेल हेतु रुपये 10,000 रु.(अगले सत्र से प्रस्तावित महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता को शामिल करते हुए)	स्पोर्ट्स बोर्ड
क्र.सं.	खेल का नाम	म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा सत्र 2015-16 से आंशकित किये जाने हेतु प्रस्तावित अंशदान राशि																																																									
01.	ऐथलेटिक्स (म. पु.)	60,000																																																									
02.	बैडमिन्टन (म. पु.)	16,000																																																									
03.	बॉस्केटबॉल(पु.)	22,000																																																									
04.	शतरंज(पु.)	10,000																																																									
05.	क्रिकेट(पु.)	25,000																																																									
06.	हैण्डबॉल(म. पु.)	25,000																																																									
07.	हॉकी(पु.)	22,000																																																									
08.	कबडडी (पु.)	18,000																																																									
09.	फुटबॉल(पु.)	22,000																																																									
10.	टेनिस (म. पु.)	16,000																																																									
11.	टेबिल टेनिस (म. पु.)	10,000																																																									
12.	वॉलीबॉल (पु.)	22,000																																																									
13.	भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, शा.सौष्ठव(पु.)	15,000																																																									
14.	कॉस कन्ट्री (म. पु.)	10,000																																																									
15.	कुश्ती (पु.)	12,000																																																									
16.	खो-खो(पु.)	15,000																																																									
17.	बॉक्सिंग (पु.)	10,000																																																									
18.	महिला खेल (बॉस्केटबॉल, बॉलीबॉल,हॉकी कबडडी एवं खो-खो)	प्रत्येक खेल हेतु रुपये 10,000 रु.(अगले सत्र से प्रस्तावित महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता को शामिल करते हुए)																																																									

			60,000	
19.	सॉफ्टबॉल (पु.)		10,000	
20.	महिला क्रिकेट		10,000	
21.	विभिन्न खेलों की चयन स्पर्धा हेतु अतिरिक्त राशि		15,000	
		कुल योग	4,25000	
सत्र 2015-16 से प्रस्तावित निर्णयन शुल्क (अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता)				
क्र.सं.	म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर द्वारा सत्र 2015-16 से आंवटित किये जाने हेतु प्रस्तावित निर्णयन राशि			
01.	टीम खेल-100 (प्रति मेच)			
02.	क्रिकेट-700			
03.	व्यक्तिगत खेल-200			
04.	एथलेटिक्स-200			
सत्र 2015-16 से प्रस्तावित स्पोर्ट्स बोर्ड सम्बद्धता शुल्क				
क्र.सं.	म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर द्वारा सत्र 2015-16 से लिये जाने हेतु प्रस्तावित सम्बद्धता शुल्क की राशि			
01.	6000 रु. वार्षिक (प्रतिवर्ग)			
<p>उक्त स्पोर्ट्स बोर्ड सम्बद्धता शुल्क,म.द.स.विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों को अनिवार्य रूपसे जमा कराना है चाहे वे स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेवे अन्यथा नहीं लेवें। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXVIII & IX)</p>				
निर्णय	सत्र 2015-16 से महाविद्यालयों को प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए दिये जाने वाली अंशदान राशि, प्रतियोगिताओं के निर्णयन शुल्क एवं स्पोर्ट्स बोर्ड सम्बद्धता शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया ।			
मद सं.41	<p>विश्वविद्यालय का श्रद्धानन्द अतिथिगृह जिसमें 20 कमरें (क्षमता 40 व्यक्ति) पूर्ण रूप से सुसज्जित (4 वी.आई.पी. कमरें, 10 एस.सी. कमरे व 6 साधारण कमरें) वर्ष 1997 से संचालित है ।</p> <p>विश्वविद्यालय द्वारा अतिथिगृह के रख-रखाव व संचालन हेतु नियुक्त स्टाफ के वेतन भत्तों, पानी बिजली व विविध खर्चों हेतु लगभग 24.88 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं जिसके विरुद्ध विश्वविद्यालय को अतिथिगृह से अनुमानतः औसतन 2.50 लाख रुपये आय प्रतिवर्ष हो रही है ।</p> <p>विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार उत्तरोत्तर कम होने के कारण अतिथिगृह की क्षमता का आंशिक उपयोग हो पा रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राज्य सरकार द्वारा भी समय-समय पर विश्वविद्यालय को आय बढ़ाने के उपाय बढ़ाने के तहत यह भी सुझाव दिया गया है कि विश्वविद्यालय के अतिथिगृह</p>			अतिथिगृह

	<p>जैसी सुविधाओं को स्व-वित्तपोषी आधार पर संचालित किए जाने के प्रयास किए जाए ।</p> <p>अतः अतिथिगृह की आय के स्रोत बढ़ाने के संदर्भ में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । विगत वर्षों वर्ष 2000-01 से 2013-14 की आय-व्यय, कमरों की दरों स्टॉक का विवरण (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXXXX) पर संलग्न है ।</p>	
निर्णय	<p>अतिथिगृह के आय के स्रोत बढ़ाने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित किये जाने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।</p>	
मद सं. 42	<p>विश्वविद्यालय के परीक्षात्मक एवं अन्य कार्यों हेतु नई बोलेरो जीप क्रय किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 18.12.2014 के तहत प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में Purchase of Car/Jeep बजट मद 2204 (209-1) में रूपये 10.00 लाख का प्रावधान किया गया है । उक्त वाहन क्रय करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार से अनुमति चाही गई थी किन्तु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 08.12.2014 के द्वारा नया वाहन (बोलेरो जीप) क्रय करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXI)</p>	सामान्य प्रशासन
निर्णय	<p>प्रस्ताव अस्वीकृत । विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु आउट सोर्सिंग के जरिए वाहन किराए पर लिए जाने का निर्णय लिया गया ।</p>	
मद सं. 43	<p>विश्वविद्यालय की मुख्य एवं पूरक परीक्षा से संबंधित परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण एवं नियुक्ति के क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा परीक्षा नियमों में आवश्यक संशोधन/बदलाव करने के क्रम में गठित समिति की अनुशंषाओं को स्वीकार करते हुए माननीय द्वारा संशोधित नियमों का अनुमोदन किया गया है । फलस्वरूप विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक F-11 () Exam/ Centre/ PG/MDSU/2015/76917 dated 09 Oct. 2014 के तहत समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र के नियमों में संशोधन एवं प्रवृत्त किये जाने बाबत उक्त अधिसूचना जारी की गई थी । अधिसूचना के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र योग्य संबंधित महाविद्यालयों के निरीक्षणोपरान्त अनुमोदन होने पर परीक्षा केन्द्र घोषित होने की स्थिति में रूपये दो लाख बतौर धरोहर राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कराना आवश्यक होगा, जिसके तहत परीक्षा केन्द्र बने रहने तक उक्त राशि विश्वविद्यालय में जमा रहेगी एवं इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । परीक्षा केन्द्र निरस्त होने या निरस्त किये जाने की स्थिति में उक्त धरोहर राशि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालयों को लौटा दी जावेगी । विश्वविद्यालय के इस प्रावधान के तहत परीक्षा केन्द्रों पर होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सकेगा । अतः परीक्षा केन्द्र बाबत संशोधित नियम, परीक्षक नियुक्ति प्रारूप, महाविद्यालय द्वारा</p>	परीक्षा (पी.जी)

	दिये जाने वाला शपथ-पत्र का प्रारूप एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना, प्रबन्ध बोर्ड के प्रतिवेदनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXXII)	
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 44	<p>विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की 44वीं बैठक दिनांक 07.11.2014 के कार्यवृत्त की मद संख्या 3.1 के अनुसार बृहस्पति भवन में स्थित एकेडेमिक हॉल एवं अन्य हॉल में विट्रीफाइड टाइल्स लगाने एवं विविध कार्य के संबंध में, प्रकरण को प्रबन्ध बोर्ड की स्वीकृति से कराये जाने की अनुशंसा की गई है । राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के परियोजना निदेशक के पत्र क्रमांक 530 दिनांक 22.08.2014 के द्वारा प्रबन्ध बोर्ड कक्ष, विद्या परिषद् बैठक कक्ष एवं स्वराज सभागार कक्ष हेतु रूपये 17.59 लाख की अनुमानित लागत का विवरण प्रस्तुत कर सूचित किया गया है ।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार मरम्मत कार्य की अनुमानित लागत रूपये 17.59 लाख की स्वीकृति एवं मरम्मत कार्य आर.एस.आर.डी.सी.सी. लि. से कराये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXXIII)</p>	अभियन्ता कार्यालय/ वित्त नियंत्रक
निर्णय	प्रस्ताव स्वीकृत । तदनुसार बजट में आवश्यक प्रावधान किये जायें ।	
मद सं. 45	विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की 44वीं बैठक दिनांक 07.11.2014 के कार्यवृत्त की मद संख्या 6 में लिये गये निर्णय के अनुसार स्वराज सभागार में ए.सी. लगाने की स्वीकृति प्रदान कराने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ मद प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXXIV)	अभियन्ता कार्यालय/ वित्त नियंत्रक
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । तदनुसार बजट में आवश्यक प्रावधान किये जायें	
मद सं. 46	विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की आयोजित बैठक दिनांक 28.08.2014 को 43वीं एवं दिनांक 07.11.2014 को 44वीं बैठक के कार्यवृत्त को प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXXV& VI)	अभियन्ता कार्यालय/ वित्त नियंत्रक
निर्णय	विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की आयोजित बैठक दिनांक 28.08.2014 को 43वीं एवं दिनांक 07.11.2014 को 44वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया । तदनुसार बजट में आवश्यक प्रावधान किये जायें ।	


<p>मद सं. 47</p>	<p>विश्वविद्यालय के अध्यादेश 10 में विद्या परिषद् की बैठक के आयोजन हेतु 21 दिवस पूर्व सदस्यों को बैठक, समय एवं स्थान की सूचना मय कार्यसूची के भिजवाये जाने का प्रावधान है किन्तु वर्तमान में व्यापक त्वरित संचार साधनों की उपलब्धता एवं संचार तकनीक में अत्याधुनिक संसाधनों के प्रयोग के कारण विद्या परिषद् के आयोजन हेतु बैठक की सूचना निर्धारित तिथि 21 दिवस के स्थान पर 10 दिवस करना प्रस्तावित है । इस हेतु ऑर्डिनेन्स सैक्शन Section 12 - Academic Council के अन्तर्गत अध्यादेश 10 में निम्नानुसार संशोधन किए जाने पर विचार करना :</p> <p>Section 12 Academic Council O.10</p> <table border="1" data-bbox="420 723 1277 1234"> <thead> <tr> <th>S.No.</th> <th>Existing</th> <th>Proposed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Registrar shall not, less than 21 days previous to each meeting of the Academic Council, issue to each member a notice stating the time and place of the meeting along with the agenda papers. In the case of a special meeting the Registrar shall give such previous notice of the time and place of the meeting as the circumstances in each case may permit</td> <td>The Registrar shall not, less than 10 days previous to each meeting of the Academic Council, issue to each member a notice stating the time and place of the meeting along with the agenda papers. In the case of a special meeting the Registrar shall give such previous notice of the time and place of the meeting as the circumstances in each case may permit</td> </tr> </tbody> </table>	S.No.	Existing	Proposed	1	The Registrar shall not, less than 21 days previous to each meeting of the Academic Council, issue to each member a notice stating the time and place of the meeting along with the agenda papers. In the case of a special meeting the Registrar shall give such previous notice of the time and place of the meeting as the circumstances in each case may permit	The Registrar shall not, less than 10 days previous to each meeting of the Academic Council, issue to each member a notice stating the time and place of the meeting along with the agenda papers. In the case of a special meeting the Registrar shall give such previous notice of the time and place of the meeting as the circumstances in each case may permit	<p>शैक्षणिक-1</p>
S.No.	Existing	Proposed						
1	The Registrar shall not, less than 21 days previous to each meeting of the Academic Council, issue to each member a notice stating the time and place of the meeting along with the agenda papers. In the case of a special meeting the Registrar shall give such previous notice of the time and place of the meeting as the circumstances in each case may permit	The Registrar shall not, less than 10 days previous to each meeting of the Academic Council, issue to each member a notice stating the time and place of the meeting along with the agenda papers. In the case of a special meeting the Registrar shall give such previous notice of the time and place of the meeting as the circumstances in each case may permit						
<p>निर्णय</p>	<p>प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया गया ।</p>							
<p>मद सं. 48</p>	<p>विश्वविद्यालय बजट, वित्त एवं लेखा नियम 1997 के अध्याय VII के नियम संख्या 156 के अन्तर्गत क्रय की प्रक्रिया, समयबद्ध आपूर्ति व भुगतान प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु विश्वविद्यालय क्रय समिति/उपक्रय समिति के गठन तथा क्रय प्रक्रिया के पुननिर्धारण पर विचार करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXXXXXVII)</p>	<p>सामान्य प्रशासन</p>						
<p>निर्णय</p>	<p>विश्वविद्यालय क्रय समिति, उप क्रय समिति के गठन तथा क्रय प्रक्रिया के पुननिर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।</p>							
<p>मद सं. 49</p>	<p>विद्या परिषद् की दिनांक 17.12.14 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या 17 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में सम्बद्धता नियमों के सरलीकरण के संबंध में प्रस्तावित नये अध्यादेश 70-ए को प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व इन प्रावधानों की इस दृष्टि से समीक्षा किये जाने हेतु</p>							

	कि प्रस्तावित प्रावधानों के कारण पूर्व में प्रभावी किसी अध्यादेश में संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है । यदि आवश्यकता अनुभव होती है तो तदनुसार संशोधन का प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड में प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.12.14 की अनुशंषाएं प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।													
निर्णय	समिति की अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।													
मद सं. 50	<p>राजकीय महाविद्यालय, उनियारा (टोंक) को बीए पाठ्यक्रम में सत्र 2011-2012, 2012-2013 व 2013-2014 की सीट अभिवृद्धि हेतु सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं आदेशानुसार विश्वविद्यालय पत्रांक: 8090 दिनांक 14.05.2014 के द्वारा आर्थिक दण्ड व सीट अभिवृद्धि शुल्क की कुल राशि रु. 10.30 लाख विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। तत्पश्चात् महाविद्यालय को स्मरण पत्रांक: 12357 दिनांक 2.07.2014, 15892 दिनांक 31.07.2014, 20536 दिनांक 17.09.2014 के द्वारा महाविद्यालय को सूचित किये जाने के उपरांत भी महाविद्यालय द्वारा उक्त बकाया राशि रु. 10.30 लाख विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं करवाई गई।</p> <p>राजकीय महाविद्यालय, उनियारा (टोंक) के विरुद्ध सत्र 2011-2012, 2012-2013 व 2013-2014 की सीट अभिवृद्धि हेतु बकाया आर्थिक दण्ड व सीट अभिवृद्धि शुल्क की कुल राशि रु. 10.30 लाख की मुक्ति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव-राज्यपाल सचिवालय के कार्यालय से विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर का पत्रांक: एफ.26(11) आरबी/2008/8946 दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 (कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXXXXXVIII) के द्वारा सूचित किया गया है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा राजकीय महाविद्यालय, उनियारा (टोंक) पर लगाई गई शास्ति राशि रु. 10.30 लाख मात्र को माफ किये जाने हेतु माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:</p> <table border="1" data-bbox="412 1552 1250 1980"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>कमी का विवरण</th> <th>आर्थिक दण्ड/सीट अभिवृद्धि शुल्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>सत्र 2011-2012 में बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित मानदण्डानुसार 7 शिक्षक कम नियुक्त पाये जाने के रु. 1,40,000/- (जिसमें से रु. 1,00,000/- जमा कराया जा चुका है)</td> <td>रु. 40,000/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>सत्र 2012-2013 में बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित मानदण्डानुसार 16 शिक्षक कम नियुक्त पाये जाने के आधार पर रु. 4,80,000/- (जिसमें से रु. 1,40,000/- जमा कराया जा चुका है)</td> <td>रु. 3,40,000/-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>सत्र 2013-2014 में बीए पाठ्यक्रम में संविदा पर</td> <td>रु. 30,000/-</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	कमी का विवरण	आर्थिक दण्ड/सीट अभिवृद्धि शुल्क	1.	सत्र 2011-2012 में बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित मानदण्डानुसार 7 शिक्षक कम नियुक्त पाये जाने के रु. 1,40,000/- (जिसमें से रु. 1,00,000/- जमा कराया जा चुका है)	रु. 40,000/-	2.	सत्र 2012-2013 में बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित मानदण्डानुसार 16 शिक्षक कम नियुक्त पाये जाने के आधार पर रु. 4,80,000/- (जिसमें से रु. 1,40,000/- जमा कराया जा चुका है)	रु. 3,40,000/-	3.	सत्र 2013-2014 में बीए पाठ्यक्रम में संविदा पर	रु. 30,000/-	शैक्षणिक-II
क्र.सं.	कमी का विवरण	आर्थिक दण्ड/सीट अभिवृद्धि शुल्क												
1.	सत्र 2011-2012 में बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित मानदण्डानुसार 7 शिक्षक कम नियुक्त पाये जाने के रु. 1,40,000/- (जिसमें से रु. 1,00,000/- जमा कराया जा चुका है)	रु. 40,000/-												
2.	सत्र 2012-2013 में बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित मानदण्डानुसार 16 शिक्षक कम नियुक्त पाये जाने के आधार पर रु. 4,80,000/- (जिसमें से रु. 1,40,000/- जमा कराया जा चुका है)	रु. 3,40,000/-												
3.	सत्र 2013-2014 में बीए पाठ्यक्रम में संविदा पर	रु. 30,000/-												

	नियुक्त 01 शिक्षक निर्धारित योग्यताधारी नहीं पाये जाने पर		
4.	सत्र 2013-2014 में बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित मानदण्डानुसार 14 शिक्षक कम नियुक्त पाये जाने पर रु. 4,20,000/-	रु. 4,20,000/-	
5.	सत्र 2013-2014 में पुस्तकों के क्रय के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रेषित नहीं किये जाने के आधार पर	रु. 30,000/-	
6.	सत्र 2011-2012 एवं 2012-2013 की पुस्तकों की कमी पूर्ति सत्र 2013-2014 में भी नहीं किये जाने पर	रु. 50,000/-	
7.	सत्र 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 की सीट अभिवृद्धि के कारण	रु. 1,20,000/-	
	कुल आर्थिक दण्ड एवं सीट अभिवृद्धि शुल्क	रु. 10,30,000/-	
	<p>विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 8(2) में निम्न प्रावधान है:</p> <p>8(2) कुलाधिपति ऐसे कोई भी निर्देश दे सकेंगे, ऐसी कोई भी कार्यवाही और बात कर सकेंगे, जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन आवश्यक है।</p> <p>इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(4) के तहत प्रदत्त आदेश दिनांक 20.12.2014 की पालना में राजकीय महाविद्यालय, उनियारा (टोंक) के विरुद्ध सत्र 2011-2012, 2012-2013 व 2013-2014 की सीट अभिवृद्धि हेतु बकाया आर्थिक दण्ड व सीट अभिवृद्धि शुल्क की कुल राशि रु. 10.30 लाख से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय पत्रांक: 28824 दिनांक 23.12.2014 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXXXXXXIX)</p> <p>अतः महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्देशों की पालना में माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20.12.2014 के अनुसार की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में मद प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।</p>		
निर्णय	पुष्टि की गयी।		
मद सं. 51	<p>विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान के पत्र क्रमांक VYASA/MOPU/MDS-University/2012-2015 दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 एवं फैक्स VYASA/014-205/134 दिनांक 17.12.14 (प्रतिलिपि मय संलग्नक कार्यसूची का परिशिष्ट XXXXXXXXX) संलग्न है, के साथ प्राप्त संशोधित अनुबंध तथा विश्वविद्यालय के योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग में उक्त संस्थान से हुए अनुबंध के अन्तर्गत सेवारत योग प्रशिक्षकों डॉ. लारा शर्मा और श्रीमती असेम जयन्ती को दिनांक 01.07.2009 से व्याख्याता पदोन्नत माने जाने और संस्थान द्वारा किये गये वेतन नियतन के अनुसार पारिश्रमिक दिये जाने के दस्तावेजों</p>		संस्थापन

	पर इस प्रकरण के तथ्यात्मक विवरण (कार्यसूची का परिशिष्ट XXXXXXXXXI) के आधार पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	<p>प्रकरण में विचार कर प्रस्ताव दिये जाने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जाये :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड -संयोजक 2. प्रो. जी. के. कोहली, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड -सदस्य 3. डॉ. रवीन्द्र भारती, उप कुलसचिव (संस्था.) -सदस्य सचिव <p>निर्णय किया कि समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने और इस प्रकरण पर निर्णय होने तक संबंधित योग प्रशिक्षकों को 01 जनवरी, 2015 से पारिश्रमिक की राशि रुपये 25,000/- प्रतिमाह स्वीकार की जाती है ।</p>	
मद सं. 52	<p>प्रबन्ध बोर्ड ने प्रेक्षण किया कि कार्यसूची में मद सही प्रकार बनाकर रखे जाने चाहियें जिनमें निम्नांकित स्पष्टता होनी चाहिये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विचारणीय विषय और उसके तथ्य । 2. तथ्यों का मूल्यांकन । 3. प्रबन्ध बोर्ड के विचारणीय प्रस्ताव । 	शैक्षणिक-1

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।


कुलपति


कार्यवाहक कुलसचिव